असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 जुलाई, 2018

षोडश विधान सभा 23 जुलाई, 2018 ई0

---------- सोमवार, तिथि ----------

दशम् सत्र 01 श्रावण, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्प सूचित प्रश्न ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय, पूरे बिहार में .....

अध्यक्ष : सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, आज भी अखबार में है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आज हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया है, पूरा बिहार सूखे से ग्रसित है महोदय, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार को जो काम करना चाहिये था पहले से जो इंतजाम करने चाहिये थे, उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है और बिहार सरकार को यह मालूम था और आपदा की जो नियमावली बनी है, जो गाईडलाईन्स है, मई और जून के महीने में वर्षा अगर 19 प्रतिशत से कम होती है तो उसमें डीजल अनुदान देना चाहिये, लेकिन यह जुलाई महीना का अंत हो गया, अब जाकर ये लोग जागे हैं । साथ ही साथ महोदय बाण सागर योजना के तहत बिहार सरकार और मध्य सरकार से जो एकरारनामा हुआ है, अब तक एक भी बून्द बिहार को महोदय नहीं मिला है और ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के पूरे बिहार मध्यम प्रदेश में बी.जे.पी. ओर इन लोगों की सरकार है महोदय, किसान की ऐसी स्थिति हो गई है कि आत्महत्या करने के कगार पर हैं, इसलिये हमलोगों की मांग है कि महोदय बिहार को सूखा घोषित किया जाय, और किसानों का जो कर्ज है, जो ऋण है वह माफ किया जाय महोदय, तो इतना महत्वपूर्ण है कि महोदय जो हमारा प्रस्ताव है उसको एक्सेप्ट किया जाय, महोदय स्वीकार किया जाय और इस पर महोदय चर्चा होनी चाहिये कि राज्य सरकार की आगे की क्या योजना है सूखा से निबटने के लिये ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आपने इस समय पूरे सूबे में व्याप्त एक महत्वपूर्ण आपदा जैसी स्थिति बन रही है उसका जिक्र किया है । सही मायने में यह पूरे राज्य की जनता के लिये संवेदनशील मुद्दा है। सरकार की तरफ से विधिवत भी विधान सभा को सूचना दी गई है । समाचार पत्रों में भी आया है, सरकार भी इस दिशा में प्रयत्नशील है । अभी सदन की कार्यवाही चार दिन तक

चलनी है उसमें भी हमें पर्याप्त समय है कि सप्लमेंट्री के दिन भी, अन्य दिनों में भी अन्य तरीके से भी हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीर विमर्श और चर्चा कर सकते हैं, उसमें सदन के जो भी इच्छुक माननीय सदस्य होंगे वे अपने विचार इस विषय पर रख सकेंगे । फिर सरकार भी अपनी पूरी तैयारियों से सदन को वाकिफ करायेगी और बतायेगी । फिर उसमें जो भी राज्य हित में, जनहित में होगा वह फैसला लिया जा सकेगा । इसलिये आसन की तरफ से हम अनुरोध करेंगे कि अभी समय है इस सत्र में भी कि हम इस विषय पर और भी संवेदनशील एवं गंभीर तरीके से विमर्श कर सकते हैं । आपने मुद्दा उठाया है, हमने देखा है, आप ही के नेतृत्व में लगभग सभी दल के माननीय नेताओं ने इस विषय को लाया है, ये विषय महत्वपूर्ण है और इसमें जैसा कि हमने कहा सरकार ने भी विधिवत विधान सभा को सूचना दी है । आज अखबारों के माध्यम से भी सरकार के प्रयास की जानकारी हो रही है । स्वाभाविक रूप से हम उचित समय पर इस पर विमर्श करके राज्य हित और किसानों के हित में सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं । इसलिये आपकी इजाजत हो तो अन्य समय, अभी जैसे अनुपूरक का ही दिन है उस दिन भी आपलोग चाहिये तो उस दिन तो किसी विषय पर और जैसा कि सरकार ने सूचना दी है ग्रामीण विकास । ग्रामीण विकास में अभी वर्षा और कृषि से ज्यादा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है ? तो उस दिन भी अन्य तरीके से विमर्श कर सकते हैं। अभी तो आप सभी माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । कार्य स्थगन का प्रश्न उठाने का जो समय नियमावली में निर्धारित है, आप 12 बजे इसको उठा सकते हैं ।

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भाई बीरेन्द्र । आप तो टॉप कर गये ।

श्री भाई बीरेन्द्र : आपकी कृपा है ।

अध्यक्ष : गृह विभाग ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1(श्री भाई बीरेन्द्र)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड-1 : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में एवं 4 रेल जिलों के 1056 थानों में हाजतों एवं कार्यालय कक्षों सहित सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु, नई योजना हेतु, नई योजना की लागत राशि 282 करोड़ 26 लाख 44 हजार 161 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या 5716 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा प्रदान की गई है। कार्य प्रारम्भ करने हेतु बेल्ट्रॉन के पी.एल. खाते में कुल एक करोड़ पांच लाख रूपया मात्र जमा कराया गया है । वर्त्तमान में पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठाापित करने के लिए एजेंसी चयन हेतु निविदा की जा रही है ।

खंड-2 : अस्वीकारात्मक है ।

खंड-3 : खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री भाई बीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर है, जो हमारा प्रश्न है उसके अनुरूप नहीं है । सी.सी.टी.वी. कैमरा पर 282 करोड़ 26 लाख रूपये खर्च हुये हैं और जब से वह लगा है सी.सी.टी.वी. कैमरा, इसलिये लगाया गया कि जो पदाधिकारी चाहे वह एस.पी. हों, आई.जी. हों, नीचे के थानाध्यक्ष हों, नीचे के डी.एस.पी. हों सब पर नजर रखें कि आम-अवाम जो नागरिक जा रहे हैं उस पर उसका क्या बर्ताव है, और हाजत में जो बंद हैं कैदी, चाहे वह जिस मामले में कैद हों, उनकी क्या गतिविधि रही है इसके लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा है और इतना सरकार का, आम-अवाम का पैसा खर्चा हो गया और वह खराब पड़ा हुआ है और यह कहीं न कहीं लगता है कि एस.पी. और थानाध्यक्ष मिलकर उसको खराब कर रखे हैं, चूंकि उनको रिश्वत लेने में नहीं बन रहा था इसलिये सरकार गोल-मटोल केवल जवाब दे रही है। मैं यह जानकारी चाहता हूँ, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार केवल जनता के पैसों का बंदरबांट करना चाहती है ? जो सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा है, उसका रख-रखाव कौन करेगा ? और कब रख-रखाव कर के जो पदाधिकरी के दुर्व्यवहार से चाहे जिसके भी कारण से, अगर यह नेग्लीजेंसी से यह सी.सी.टी.वी. कैमरा खराब है तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : भाई टोपी तो आपके कान से ऊपर है, टोपी कान के नीचे नहीं है, तब तो हमको कोई परेशानी नहीं है,(व्यवधान) अब सुन तो लीजिये, इसलिये चिल्लाते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं । दोनों आदत रखिये सुनिये भी ज्यादा और बोलिये भी । (व्यवधान)

अच्छा ठीक है, तो महोदय मैंने क्या कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति जरूर मिली, जिस राशि का जिक्र वे कर रहे हैं 28.07.2016 द्वारा लेकिन एक करोड़ पांच लाख रूपया ही केवल बेल्ट्रॉन को दिया गया अभी एजेंसी का चयन किया जा रहा है, एजेंसी के चयन के बाद, अभी तो लगा ही नहीं, उसके मैन्टेनेंस एवं खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री भाई बीरेन्द्र : सरकार गलत बयानी दे रही है हुजूर और जितनी भी राशि, पब्लिक का जो पैसा है, सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा होता है हुजूर, और ये पैसे कहां जा रहे हैं? इतना दिन पैसा कहां जा रहा है, लगाने का का समय सीमा निर्धारित है, समय सीमा निर्धारित है, समय समय के अन्दर में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया क्यों नहीं गया, यह मैं जानकारी चाहता हूँ । (व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करिये ।

(व्यवधान)

वह निकाला गया । माननीय सदस्यगण, अभी तो आप सब के सहयोग से इतने अच्छे से कार्यवाही चल रही थी । भाई वीरेन्द्र जी, कोई ऐसी विवादास्पद बात या उक्ति लाकर अपने प्रश्न का भविष्य क्यों कुंडित कर रहे हैं इसलिए बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, सी0सी0टी0वी0 लगाने की बात हो रही है । समय सीमा निर्धारित है सरकार ने क्यों नहीं लगायी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य वीरेन्द्र जी बैठिये । माननीय सदस्य विनोद जी बैठिये । सब लोग बैठ जाईये । जहाँ तक प्रश्न की बात है ।..

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने क्या कहा प्रशासनिक स्वीकृति 200 समथिंग करोड़ की मिली लेकिन 1 करोड़ 5 लाख की राशि जो बेल्ट्रॉन, संगठन है उसको दी गयी है निविदा की प्रक्रिया चल रही है, इसमें घोटाला का क्या प्रश्न होता है, कहाँ कोई मामला है, वह तो खजाना में पड़ा हुआ है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : समय सीमा निर्धारित है, पब्लिक का पैसा जाता है जैसे मन करेगा वैसे- दो साल हो गया है, यह लूट नहीं है तो और क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चलिए, बैठिये । बैठिये विनोद जी । माननीय सदस्यगण, अभी जो माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इसमें इनका दावा है कि करीब 282 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च हुए । माननीय मंत्री ने बताया है कि यह 282 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है और इसमें से मात्र 1 करोड़ रुपये जो बेल्ट्रॉन संस्था जिसके माध्यम से इसको लगाया जाना है, मात्र 1 करोड़ रुपये बेल्ट्रॉन संस्था को दिया गया है इसलिए समझ लीजिये पहले, माननीय मंत्री..

श्री भाई वीरेन्द्र : समय सीमा निर्धारण था कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये न । आप ही की बात पूछ रहे हैं माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपके जवाब के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहते हैं कि सरकार की योजना इसको कबतक पूरा कराने की थी ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आपको पता है कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने हेतु बेल्ट्रॉन एक और्गेनाईजेशन का चयन कर रहा है । टेण्डर की प्रक्रिया अब होगी ही इसलिए जल्द ही इसका निष्पादन किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- 2 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- प्रश्न के प्रथम खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है एवं प्रश्न के दूसरे खण्ड का उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4(3) में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षित कोटे के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी न कि आरक्षण कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध ।

3- प्रश्न की कंडिका 1, 2 के उत्तर के आलोक में इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह प्रश्न आरक्षित वर्ग के एस0सी0, एस0टी0 और बी0सी0 वर्ग के लिए जो 50 परसेंट इन्होंने प्रश्न में कहा, नियुक्ति और नामांकण में अभी महोदय, किस तरह से धांधली हो रही है कि 85 परसेंट वाले लोग 50 परसेंट पा रहे हैं, 49 परसेंट पा रहे हैं और 15 परसेंट लोग भी 50 परसेंट पा रहे हैं तो आरक्षण में लोहिया जी और जयप्रकाश जी की कुर्बानी का और कर्पूरी जी का सपना का उद्देश्य था कि 15 परसेंट 85 परसेंट पाए और 50 परसेंट और 85 परसेंट 50 परसेंट पाए माननीय मंत्री जी का यही जवाब है, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जितने आपके आरक्षण नियमावली 1995 जिसपर सरकार अपने आदेश संख्या 2229 /2014 में परिवर्तित कर दिया जिसमें कि आई0ए0एस0 भवन से संचालित, बिहार प्रतियोगिता होती है उसके द्वारा एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, पी0जी0 इसमें भयंकर गड़बड़ी हो रही है जो पी0एम0सी0एच0,डी0एम0सी0एसच0 भागलपुर या मुजप्परपुर मेडिकल कॉलेज है उसमे नामांकण नहीं हो कर उसको बेतिया जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है, पावापुरी मेडिकल कॉलेज खुला है तो क्या यह ण आरक्षित वर्ग के लिए जो रिजर्व्ड कोटे के लोग है उनके लिए वही मेडिकल कॉलेज बने हैं दूसरा जो मेन सर्जिकल, ज्ञानी आपके इसतरह के जो मुख्य विषय है उसको पी0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0 ...

अध्यक्ष : यह तो आप आरक्षित वर्गीं के श्रेणी की बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या जानना चाहते हैं क्योंकि प्रश्न ...

श्री ललित कुमार यादव : नहीं , इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ओपेन - मेरा यह कहना है कि ओपेन कैटेगरी सामान्य जाति के जगह पर उसको ओपेन कैटेगरी लिखा जाय ।

अध्यक्ष : सामान्य जाति के जगह पर क्या कहा है ?

श्री ललित कुमारयादव : हमने स्पष्ट कहा है खण्ड 3 में कि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर --मेरा प्रश्न सुन लिया जाय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न तो लिखा हुआ है ।

श्री ललित कुमार यादव : अब महोदय, मेरा प्रश्न सुन लिया जाय स्पष्ट हो जायेगा । क्या यह बात सही है कि राज्य में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सभी जाति यथा सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदन कर सकते हैं ? जिसपर मंत्री जी ने कहा 'हॉ' । हमारा दूसरा खंड है कि क्या यह बात सही है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग के लोग अनारक्षित पदों पर मेधा के अनुसार आते हैं तो उसे अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया जाता है, इसमें भी कहा है 'हॉ'।

अध्यक्ष : इसमें हॉ नहीं कहा है । माननीय सदस्य एक मिनट । आपके प्रश्न का मूल भाव खण्ड- 2 में है जिसमें आपका कहना है कि जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से आते हैं लेकिन उनका चयन या उनकी जगह मेधा सूची में ऊपर होती है अनारक्षित सामान्य में भी वह मेधा में ऊपर रहते हैं । आपके खण्ड 2 में कहना है कि उनकी गिनती आरक्षित वर्ग में कर ली जाती है तो सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है जो अपनी मेधा से जिस जगह पर आते हैं जैसे कोई टॉप अगर कर गया है तो उसकी गिनती आरक्षित वर्ग के कोटे में नहीं की जाती है, सरकार ने आपको यह बताया है अब आपका क्या प्रश्न है?

श्री ललित कुमार यादव : माननीय मंत्री जी का यही जवाब गलत है महोदय ।

अध्यक्ष : क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : यह जो बोल रहे हैं कि 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है अभी और 15 प्रतिशत ..

अध्यक्ष : 50 और 15 का क्या चक्कर है । आप तो मेधा में आने वाले उम्मीदवारों की बात की है ।

टर्न-3/23.7.2018/बिपिन

अध्यक्ष : आपने तो मेधा में आने वाले उम्मीदवारों की बात की है ।

श्री ललित कुमार यादव: बी.सी., एस.सी., एस.टी. के लोग उसमें सामान्य जाति में मेधा सूची में आ भी जाते हैं तो उनको वंचित कर दिया जाता है । मेरा मूल प्रश्न यह है ।

अध्यक्ष : वंचित कैसे ? मेधा सूची में आने से कैसे वंचित हो जाएंगे ?

श्री ललित कुमार यादव: जी । चूंकि उनको लिखा जाता है ऐसा है ।

अध्यक्ष : अगर आप जो कह रहे हैं ललित जी, अगर जो कह रहे हैं यह सही है तो यह तो बहुत ही गंभीर मामला है । आप उसकी सूचना दीजिए । सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री ललित कुमार यादवः हम कह रहे हैं महोदय कि बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं उनको नामांकन में और ...

अध्यक्ष : तो वह आप दे दीजिए ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : सारा लड़का को पावापुरी मेडिकल कॉलेज या ...

अध्यक्ष : वह तो अलग मामला है ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरे पास पर्याप्त ...

अध्यक्ष : वह आप दे दीजिए न ! सरकार उसकी देखवाएगी ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है यह सवाल बहुत गंभीर है और उदाहरण के साथ ...

अध्यक्ष : इसीलिए विधान सभा सचिवालय ने स्वीकृत किया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः स्वीकृत किया है, इसके लिए धन्यवाद । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं । सरकार जो व्यवहार में कर रही है, जिस वर्डिक्ट के आलोक में ऐसा किया जा रहा है, उसका भी रेफरेंस है और सरकार ऐसा कर रही है । इसी बार यहां हमारा कौंसिलिंग का जो सेंटर है, जो टेक्निकल एजुकेशन का लेता है, वहां धरना प्रदर्शन हुआ, लाठियां चली । जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए, मेरिट में आए तो उनको भी कहा जा रहा है, कहा गया है कि आपने अगर क्लेम किया हुआ है, आपने रिजर्वेशन शॉर्ट किया है तो आपको उस कोटे में ही जाना है चाहे पूर्णांक आपने कितना भी लाया है । यह माननीय सदस्य कहना चाहते हैं । इसपर सरकार का स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए कि यह जो हो रहा है, वह रूकना चाहिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इस तरह की शिकायत रामानुज बाबू को अगर कोई उपलब्ध हो, एक हमको भेज दें । हम इसकी जांच करवावेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दे दीजिए न !

(व्यवधान)

दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, सदन की एक कमिटी आप बना दीजिए ।

अध्यक्ष : सरकार जब तैयार है कार्रवाई करने के लिए ...

(व्यवधान)

ललित जी, एक मिनट बैठिये । आपकी चिंता जो थी ....

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आलोक जी को बोलने दीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य ललित जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है । व्यवहार में और नियम में दोनों में काफी अंतर दीख रहा है और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकार और कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका पालन कौंसिलिंग में नहीं हो रहा है और उसका सीधा-सीधा उदाहरण देखा जा सकता है, यदि सर्वे करवा लें तो । जितने भी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और एस.सी., एस.टी. के साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 80 प्रतिशत् से 90 प्रतिशत् लोग बेतिया कॉलेज और पावापुरी कॉलेज में नामांकित हैं जो कि प्रायरिटी के हिसाब से सबसे अंत में आता है और उसके बाद दूसरे भी पी.एम. सी.एच., डी.एम.सी.एच. कॉलेजेज हैं उसमें वैसे कटेगोरी के लड़कों की संख्या ज्यादा है जिसको तथाकथित रूप से सामान्य कहा जा रहा है । पिछड़ी जाति और एस. सी/एस.टी. के लोग ...

अध्यक्ष : ठीक है । आलोक जी ...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह एक संदर्भ हुआ । दूसरा बता रहा हूं कि पी.जी. के ऐडमिशन में भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही है जिसमें जो प्रायरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, वह सामान्य, तथाकथित रूप से जिन्हें सामान्य के रूप में देखा जा रहा है उनको दिया जा रहा है और जो पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति और एस.सी., एस.टी. के लोग हैं उनको प्रायरिटी में सबसे नीचे दिया जा रहा है । यह एक गंभीर समस्या है । इसके लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया था । जब कौंसिलिंग चल रहा था, लाठी चार्ज हुए, ऐरेस्ट किए गए । मैं उस समय सरकार में था । हमने प्रधान सचिव से कहा था । प्रधान सचिव ने उनकी बातों को सुनने के बाद कोर्ट के फैसले को देखने के बावजूद अंत में जो निर्णय लिया गया, वह छात्रों के हिसाब से और जो वकील, जिनसे हमने कंसलटेंसी ली, उनके हिसाब से वह गलत फैसला था और वह गलत फैसला लागू किया गया । फिर छात्र सुप्रिम कोर्ट गए । सुप्रिम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया जो हाईकोर्ट ने दिया था । उसके बावजूद अभी तक सरकार कौंसिलिंग में अपने रवैया में परिवर्तन नहीं ला पा रही है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : सुप्रिम कोर्ट, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, सरकार के आदेश के बाद भी अगर यह स्थिति हो रही है तो यह तो सरासर दिखा रहा है कि सरकार दिखाने के लिए कुछ है और अंदर से कुछ और है । यह साबित हो गया महोदय कि ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं । ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब इससे तो कोई निदान नहीं होगा । अब आपलोग अपनी जगह पर जाइए । आप जगह पर जाइए ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय सदस्य लोग की चिंता यही है कि व्यवहारिक रूप में सरकार के नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है और सरकार कह रही है कि हम अनुपालन कर रहे हैं, तो या तो सदन की कमिटी बनाकर इसकी जांच करा दीजिए और अगर सदन की कमिटी बनाने में कोई दिक्कत है तो अध्यक्ष महोदय, आप ही फाइल मंगाकर देख लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसकी प्रति आप उपलब्ध करा दीजिए । उसके आलोक में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वह आप उपलब्ध करा दीजिए । आपसे लेकर मैं स्वयं इसको देख लूंगा । अगर जरूरत पड़ेगी तो कमिटी बनाई जाएगी । ठीक है ।

(इस अवसर पर वेल में मौजूद माननीय सदस्यगण अपनी अपनी जगह पर चले गए ।)

अब तारांकत प्रश्न लिए जाएंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 1 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के ग्राम दरियापुर कब्रिस्तान एवं ग्राम-हसौर में स्थिति कब्रिस्तान घेराबंदी जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 339 एवं 245 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रम 1 से 17 तक की कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति तो बनाए रखिए । प्रश्न का उत्तर हो रहा है । माननीय सदस्य अपना उत्तर नहीं सुन पा रहे हैं । शांति रखिए तब न ! चलिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उसी क्रम में घेराबंदी कराए जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना शामिल किया गया है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान: महोदय, ग्राम दरियापुर एवं हसौर कब्रिस्तान घेराबंदी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 में भी प्रश्न पूछी थी । माननीय मंत्री जी का यही जवाब मिला था । महोदय, दरियापुर एवं हसौर कब्रिस्तान घेराबंदी बहुत

ही आवश्यक है । महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी इसी वित्तीय वर्ष में कराने का निदेश देने की कृपा करेंगे ।

टर्न-04/कृष्ण/23.07.2018

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, विधायक फंड से भी यह कराया जा सकता है । अगर बहुत अरजेंसी है तो माननीय विधायिका से आग्रह है कि उसका भी उपयोग करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 02 (मा0स0श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र, नालन्दा में वर्तमान में महिला बल हेतु स्नानागार सह शौचालय 20, पुरूष बल हेतु 10 शौचालय चालू हालत में है । पेयजल हेतु 5 चापाकल हैं जिसमें 3 चापाकाल चालू हालत में है । 4 एम्बुलेंस है जिसमें 2 एम्बुलेंस चालू हालत में है । इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निर्देशित किया गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बताया कि पर्याप्त संख्या में है । पुलिस लाईन में 800 आरक्षी रहते हैं और वहां पर जो स्थिति है, सुबह का नजारा देखा जा सकता है । केन्द्र सरकार का, राज्य सरकार का एजेंडा है कि खुले में शौच से मुक्ति। तो सुबह का वहां का जो नजारा है, वह देखने लायक है । किसी अधिकारी को भेजकर वहां देखवाया जा सकता है कि खुले में आरक्षी शौच करने जा रहे हैं । तो हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार पर्याप्य संख्या में वहां शौचालय का निर्माण करवाना चाहती है, अगर चाहती है तो कबतक चाहती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने जिक्र किया, माननीय सदस्य ने सुनने का काम नहीं किया । मैंने कहा कि महिला के लिये 20 है और पुरूष के लिये 10 है, 5 चापाकल भी है और प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निर्देश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिये 20 और पुरूषों के लिये 10 है । महोदय, जो भी वहां शौचालय है वह अस्त-व्यस्त एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में है जो इस्तेमाल के लायक नहीं हैं । क्या उसकी जांच करवाना चाहते हैं ? क्या उसमें शौच, क्रियाकर्म हो सकता है ? क्या उसमें लोग शौचालय जाते हैं? यह हम कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : वह तो अलग से बनवाने के लिये प्राक्कलन तैयार करवा रहे हैं ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, कबतक चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : माननीय सदस्य की उत्कंठा को देखते हुये निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द उसको किया जाय । उसकी जांच भी करवाई जायेगी कि सचमुच में वह ठीक-ठाक हालत में है या नहीं और माननीय सदस्य को भी उस जांच में साथ में रखना पड़ेगा तो जाकर देखें ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 03 (डा0 रामानुज प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, खंड -1 अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मृतक श्याम सुंदर मुखिया का शव रेलवे गुमटी ढाला-45 छपरा कचहरी के पूरब पाया गया था। पर्यवेक्षण के क्रम में कांड का प्रथम घटनास्थल सलेमपुर मुहल्ला रेलवे कचहरी स्टेशन के बाहर प्रवेश द्वारा के पूरब हनुमान मंदिर के सामने सरकारी जमीन पाया गया जहां से अभियुक्त द्वारा मृतक को मार-पीट कर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर फेंकने की बात प्रकाश में आयी है ।

खंड-2 अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मृतक छाप थाना के नाका नंबर -3 में पदस्थापित थे, उनके द्वारा अपराधियों के विरूद्ध दी गयी सूचना पर अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई की गयी थी । मृतक की हत्या में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध शराब से संबंधित थाना में कई कांड दर्ज है । रिविल थाना कांड संख्या 246/17 दिनांक 22.11.2017 धारा 30, 30 ए, 38 बिहार मद्य निषेध अधिनियम,2016 वादी पु0अ0नि0 संतोष कुंमार तत्कालीन थानाध्यक्ष रिविलगंज के स्वयं अंकित बयान के आधार पर 1. अरूण साह 2. रवि कुमार 3. अवधेश कुमार गुप्ता 4. रमेश कुमार मिश्र एवं अन्य 11 नामजद अभ्युक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधान में कांड के नामजद के विरूद्ध सत्य पाया गया । इस कांड में हरियाणा नंबर के ट्रक से कुल 2,583 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था । मांझी थाना कांड संख्या 283/17 दिनांक 15.12.2017 धारा 30, 30ए, 38 बिहार मद्य निषेध अधिनियम,2016 वादी पु0अ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय, वर्तमान थानाध्यक्ष मांझी के स्वयं अंकित बयान के आधार पर संजय प्रसाद उर्फ साहेब एवं अन्य 106 नामजद अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया है । कांड के सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध कांड सत्य पाया गया। इस कांड में हरियाणा नंबर के ट्रक से 6 हजार 300 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था । मांझी कांड संख्या 153/18 दिनांक 21.06.2018 धारा 30, 30ए, 38 बिहार मद्य निषेध अधिनियम,2016 वादी पु0अ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय वर्तमान थानाध्यक्ष मांझी के स्वयं के अंकित बयान के आधार पर 1. साहब ततमा उर्फ संजय साह 2. अरूण ततमा तथा अन्य 7 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है । कांड के सभी नामजद अभियुक्तों

के विरूद्ध सत्य पाया गया है । इस कांड में पंजाब नंबर के दो ट्रक पर 7772 लीटर यानी 7 हजार 772 लीटर विदेशी लीटर शराब बरामद हुआ था । कांड वर्तमान में अनुसंधान अन्तर्गत है । मांझी थाना काडं संख्या 160/18 दिनांक 20 जून,2018 धारा 30, 30ए, 38 बिहार मद्य निषेध अधिनियम,2016 वादी स0अ0नि0 राजेन्द्र कुमार चक्रवर्ती,मांझी थाना के लिखित बयान के आधार पर अन्य अभियुक्त साहेब ततमा उर्फ संजय साह, अरूण ततमा एवं 6 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध प्रतिवेदित हुआ है । इस कांड में 4,440 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था । कांड वर्तमान में अनुसंधान अन्तर्गत है ।

उपरोक्त सभी कांड अवैध शराब से संबंधित है तथा सभी कांड शराब बरामदगी के पश्चात् पाये गये साक्ष्य के आधार पर पुलिस पदाधिकारी के स्वयं अंकित बयान पर दर्ज किया गया है । इन सभी कांडों में नगर थाना कांड संख्या 380/17 वादिनी लालो देवी की कोई भूमिका नहीं है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में नगर थाना कांड संख्या 117/14, कांड संख्या 216 एवं नगर थाना कांड संख्या 154/16 अरूण ततवा एवं संजय कुमार के परिजन तथा सहकर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित हुआ है। हत्या कांड में अभियुक्त अरूण ततमा शराबबंदी के पूर्व छपरा नगर क्षेत्र में ममता बीयर बार के अलावे अन्य नामों से 7-8 दुकान के मालिक रहे हैं और शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब के धंधे में संलिप्तता की बात प्रकाश में आयी है ।

खंड 3 उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी पूरा हनुमान चालिसा पढ़ दिये । पदाधिकारियों ने जो इनको लिखकर दिया, उसमें मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को समीक्षा करनी चाहिये थी कि मैं कह क्या रहा हूं । मेरे सवाल क्या हैं ।

क्रमश :

टर्न-5/राजेश/23.7.18

श्री रामानुज प्रसाद, क्रमशः महोदय यह हमने ही सवाल उठाया है ।

अध्यक्षः आप जवाब से भी बड़ा पूरक पूछना चाहते हैं ? आप पूरक पूछिये न ।

श्री रामानुज प्रसादः महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमने ही कहा है अपने सवाल में कि घटना घटी थी, एक घटना, एक पुलिस पर्सनल का डेथ हुआ था, जो सुसाईडल डेथ था, यह जो हमारा अरुण कुमार दास है, इनको अभियुक्त बना दिया जाता है, पुलिस वाले से इनकी हॉट एक्सचेंज होती है और उसका यह नतीजा आता है कि जितने वहॉ कांड हो रहे हैं, सबमें इसको इनभौल्व कराया जा रहा है, तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से आपके माध्यम से, कि सरकार ऐसा करना बंद करे और जो सबूत है,

जिन कांडों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया है, उस सारे कांड को खुद ही मैं लेकर आया हूँ, तो अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इसका जवाब दें और इसकी उच्चस्तरीय कमिटी बना करके जांच करवा दें कि कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट से या माइंड सेट अप से तो कोई परेशान नहीं कर रहा है अभियुक्त को या कोई सच्चाई है ?

अध्यक्ष :आप सिनियर पदाधिकारी से फिर से जांच चाहते हैं ?

श्री रामानुज प्रसादः हम तो चाहते हैं सदन की कमिटी बना करके इसकी जांच करा लें ।

अध्यक्षः कमिटी क्या सब चीज में बनवाते हैं ।

श्री रामानुज प्रसादः महोदय, नहीं तो किसी सिनियर पदाधिकारी से इसकी जांच करा दी जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, अब देखा जाय । इनका प्रश्न है कि मृतक की पत्नी द्वारा अनुसूचित जाति परिवार के अरुण कुमार, संजय कुमार, रवि उर्फ साहेब, पिता स्व0 धर्मनाथ प्रसाद एवं मुकेश कुमार को फॅसाया गया है । मैंने अपने उत्तर में कहा कि इनकी पत्नी के उपर कोई एफ0आई0आर0 नहीं है, जितने भी नामजद अभियुक्त हैं, सब शराब के विभिन्न मुकदमों में, जिसको ये कह रहे थे कि लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ रहे थे और सिद्दिकी साहब ये तो मंत्री रहे हैं, रामानुज भाई नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसका विस्तृत जिक्र किया कि ये सभी विभिन्न थाना में और दारोगा ने स्वयं दर्ज किया है मामला ।

श्री रामानुज प्रसाद+ अध्यक्ष महोदय, जिस कांड की चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया है, उसकी छाया प्रति हमारे पास है । इसमें सूचक के तौर पर लालो देवी का नाम अंकित है और माननीय मंत्री जी को जो जवाब बनाकर दिया गया है, वह माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया है.....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, मैंने पढ़ा, मैडम पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, रेकर्ड में नहीं है ।

श्री रामानुज प्रसादः महोदय, रेकर्ड में नहीं है लेकिन एफ0आई0आर0 में है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः आप दे दीजिये । हम जांच करायेंगे ।

श्री रामानुज प्रसादः ठीक है, मैं माननीय मंत्री जी को सुपुर्द करता हूँ, इसकी जांच करवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप दे दीजिये माननीय सदस्य, इसकी जांच माननीय मंत्री जी करा देंगे । किसी सिनियर ऑफिसर से इसकी जांच करा देंगे ।

श्री रामानुज प्रसादः इसतरह से किसी को फॅसाया, बझाया नहीं जाय, इसीलिए हमारा शराबबंदी कानून जो आज सदन में आ रहा है संशोधन .....

अध्यक्षः उस पर द्वितीय पाली में आप बोलियेगा । अब तारांकित प्रश्न संख्याः 4 लिया जायेगा।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, हर अपराधी का यह हैबिट है कि हमको गलत फॅसाया गया है । माननीय सदस्य रामानुज प्रसाद प्रोफेसर हैं, उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, हर आदमी यही कहता है गुनाह में फॅसने वाले लोग, तो इसके लिए न्यायालय तो है, अदालत तो है, ऐसा थोड़े है कि सरकार ही सब कुछ है शराब के मामले में ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के पंचायत पताही के भटौलिया में खाता सं0-91, खेसरा सं0-110, रकबा-1 एकड़ 32 डिसमिल कब्रिस्तान की जमीन पर प्लींथ स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उत्तर, पश्चिम, पूर्व भाग तथा दक्षिण अंश में पॉच फीट चहारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है । उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है । जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को प्रश्नगत कब्रिस्तान की शेष भाग की चहारदीवारी निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान: महोदय, माननीय मंत्री जी को गलत रिर्पोट मिला है । अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है । भटौलिया कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, गलत ढंग से लोग उसको कब्जा कर रहे हैं, गलत ढंग से लोग उसको कब्जा कर रहे हैं महोदय, अभी तक काम शुरु नहीं हुआ है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके, इस काम को कराने की कृपा करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र: महोदय, सरकार के खिलाफ में मामला उठ रहा है, गलत बयानी सदन में माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: यह सरकार के खिलाफ नहीं है, प्रतिवेदन के खिलाफ है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: माननीय सदस्या को लगता है कि गलत जवाब आया है, तो ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायगी । ये लिखकर दें, तो इसकी जांच उच्च स्तर से की जायगी ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 5 (श्री राघव शरण पाण्डेय)

श्री खुर्शीद उर्फ फिराज अहमद, मंत्री: महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । छोआ मोलासेज के उठाव का संबंध उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से है । विभाग द्वारा प्रधान सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा आयुक्त, उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को तिरुपति सुगर लिमिटेड, बगहा के मोलासेज का उठाव ससमय कराने हेतु अनुरोध किया गया है । इसके अतिरिक्त छोआ

मोलासेज का भंडार एवं उठाव नहीं होने के कारण आगामी पेराई सत्र 2018-19 में चीनी मिल के परिचालन में गंभीर समस्या को देखते हुए इसके समाधान हेतु प्रस्ताव दिनांक 11.6.2018 को गन्ना उद्योग विभाग से मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है । बगहा चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2018-19 में मिल परिचालन कराने हेतु विभाग पूरी तरह से सजग है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

श्री राघव शरण पाण्डेयः महोदय, आज गन्ना किसान आपदा की स्थिति से गुजर रहे हैं और संशय की स्थिति से गुजर रहे हैं । स्थिति यह है कि पेराई सीजन में जो गन्ना सप्लाई किया गया, फरवरी में भी जो सप्लाई किया गया, उसका अभी तक पेमेन्ट नहीं किया गया । बगहा का मैंने प्रश्न किया है, पहले मैंने अल्पसूचित प्रश्न भी किया था, उसका समय नहीं मिलने के कारण उसका उत्तर नही ंमिल सका । स्थिति यह है महोदय कि आज पूरे राज्य में कई ऐसे गन्ना मिल हैं, जहॉ आधा पेमेन्ट भी अभी तक नहीं हुआ और इस वर्ष ऑकड़े बताते हैं, मैं अपने जिले की बिल्कुल सही स्थिति जानता हूं कि चालीस परसेंट अधिक एरिया में गन्ना की बोआई हुई है, यदि मोलासेज नहीं उठाया गया और पेमेन्ट नहीं किया गया, तो किसान सशंकित हैं कि गन्ना कहॉ जायेगा ? इसलिए अभी कई महीने गुजर गये, उस सत्र के दौरान ही मोलासेज के डिसपोजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ने जो कमिटी बनाई है, दो अलग-अलग विभाग हैं, तालमेल करके इसका निबटारा किया जाना चाहिए और सरकार से मैं जानना चाहूंगा कि भुगतान कब तक होगा और उसके लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः महोदय, यह प्रश्न छोआ उठाव से संबंधित है ।

अध्यक्षः वह तो आपने बता ही दिया ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः महोदय, वह तो मैंने बता दिया । अरे भाई जरा सुनिये, आपसे भी ज्यादा जवाब मुझे देना आता है, आप जरा सुनिये । आपलोगों को आदत हो गया है पेपर में आने का, हैबिट हो गया है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप हमारी ओर मुखातिब होकर बोलिये ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्रीः महोदय, रहा सवाल भुगतान से संबंधित, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि रीगा और सासामूसा चीनी मिल को छोड़कर बाकी फैक्ट्रियों द्वारा लगभग 79 परसेंट भुगतान कर दी गयी है । माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि चालीस परसेंट, पचास परसेंट भी भुगतान नहीं किया गया है, तो मैंने बताया कि रीगा और सासामूसा चीनी मिल को छोड़कर, तो रीगा की सारी चीनी जब्त है, जितना किसान का भुगतान बाकी है, उससे ज्यादा भंडार में अभी चीनी पड़ा हुआ है, विभाग उसको जब्त किये हुए हैं और उसको

बिक्री करके भुगतान किसानों को कर रही है, सासामूसा को भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, नहीं तो बाकी 80 प्रतिशत का पेमेन्ट हो गया है, रोज पेमेन्ट किया जा रहा है, विभाग इसपर अपने गंभीर है । सरकार चालू होने से पहले गन्नाा का एक भी किसान का बकाया नहीं रहेगा, भुगतान कर दी जायगी ।

क्रमशः

टर्न-6/सत्येन्द्र/23-7-18

अध्यक्षः पांडेय जी, आपने पूरक में जानना चाहा कि सरकार जिन किसानों का बाकी है उनको कबतक भुगतान करना चाहती है । माननीय मंत्री जी ने साफ कहा कि अगला सीजन होने से पहले हम सब का पेमेंट कर देंगे । अब क्या पूरक है ?

श्री राघव शरण पाण्डेयः अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि साल भर पेमेंट में लगता है अगला सीजन तक तो क्या सरकार इसको किसानों के लिए आपदा की स्थिति समझ कर कुछ विशेष व्यवस्था करने के पक्ष में है या नहीं है ?

श्री मो0 नेमातुल्लाहः अध्यक्ष महोदय, छोआ का जो मामला है वह सभी मिलों का है महोदय, हमारे यहां भी जो विशनु सुगर मिल है, वहां भी चार टंकी है और चारों फूल हो गया है छोआ से, सीरा से महोदय और उसका उठाव नहीं हो रहा है ।

अध्यक्षः रीगा और सासामुसा का तो नहीं है। मंत्री जी ने बतलाया है कि उन दोनों पर कुछ अवैध गतिविधि के कारण स्टॉक सीज्ड है।

श्री मो0 नेमातुल्लाहः यहां कोई अवैध नहीं है । मेरा क्वेश्चन भी है इस पर, 35 आईटम नं0 है लेकिन महोदय, नहीं होगा उसी से जुड़ा मामला है छोआ का, जो चार टंकी है और अगर यह खाली नहीं होगा तो पेराई नहीं हो सकेगा । किसान कहां ले जायेगा, परमीशन नहीं सरकार दे रही है और मद्य निषेध विभाग कोई निगोशियेशन नहीं कर रहा है । मैंने एक चिट्टी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था, डिप्टी सी0एम0 को भी लिखा था, और गन्ना मंत्री जी को, कमिश्वर को लेकिन सिर्फ डिप्टी सी0एम0 का जवाब आया चिट्ठी का कि इसको विभाग में भेज दिया, फौर्मलिटी कर के उन्होंने कह दिया कि विभाग में भेज दिया है, इस पर बैठक कर के, चूंकि किसान का मामला है, वे बहुत परेशान है, किसान का जो अपना खून पसीना.....

अध्यक्षः ठीक है। मंत्री जी जवाब दे रहे है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही मुद्दा उठाया है कि छोआ का उठाव नहीं होने से कठिनाई हो रही है तो राज्य सरकार बहुत जल्द निर्णय लेने जा रही है । वह प्रक्रिया के अधीन है कि जो अतिरिक्त छोआ है, उसको दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति देने का निर्णय लिया जा रहा है । जैसा उत्तर दिया

गया है कि अगले पेराई सीजन के पहले कोई छोआ बचा नहीं रहेगा इसलिए किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-6(श्री सीताराम यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 64 पर संघारित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 50 तक के कब्रिस्तानों के घेराबंदी की योजना स्वीकृत कर निर्माण कराया जा रहा है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमिक ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त विधायक योजना के द्वारा भी इसके निर्माण कराये जाने की पक्रिया है।

श्री सीताराम यादव: सर, उसमें मवेशी वगैरह घुस जाता है, तनाव बढ़ता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि कबतक करा देंगे...

अध्यक्ष: वे तो कहे कि जो प्राथमिकता सूची है, उसमें ये कब्रिस्तान नीचे है और वे सुझाव दिये है कि अगर जल्दी है कि अपने वाले क्षेत्र विकास निधि से करवा दीजिये तो कबतक क्या पूछ रहे हैं ?

श्री यदुवंश कुमार यादव: पैसा तो बढ़ा दीजिये। काम बढ़ा रहे हैं तो पैसा तो बढ़ाईए। कम से कम एक विधायक को 5 करोड़ रू0 होना चाहिए । हमलोग मुंह छिपाकर डर से भागते हैं, नहीं तो उसको बंद कर दीजिये।

अध्यक्ष: इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री युदवंश प्रसाद यादव: आपने पूछा तो हमने कह दिया ।

डॉ0 शमीम अहमद: माननीय मुख्यमंत्री जी ने चयनित कब्रिस्तान के बारे में, मेरा 64 नं0 पर क्वेश्चन है सर, उसको देख कर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन से आह्वान किये थे कि चयनित सूची के अलावा भी जो कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी करा सकते हैं लेकिन अभी तक इसका अधिसूचना जारी नहीं हो पाया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि ..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सेंसेटिव वाले पर, सभी को अनिवार्य नहीं है, जहां झगड़ा होने की आशंका है उसको प्राथमिकता सूची कलक्टर और एस0पी0 की कमिटी करती है..

अध्यक्ष: आप क्षेत्र विकास निधि की बात न कर रहे है और वह माननीय सदस्य दूसरी बात कह रहे हैं..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्राथमिकता सूची में नहीं है, वह भी माननीय विधायक अगर कराना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं, सरकार की अनुमति है।

डॉ0 शमीम अहमदः इसकी अधिसूचना नहीं जारी हुई है सर।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप सुनिए न क्षेत्र विकास निधि के बारे में।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत भी इसको शामिल किया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत भी इसको शामिल किया जायेगा । उसके विस्तृत और एक सभी जितने पुराने भी दिशा निर्देश थे, मार्गदर्शिका थी, सबको समेकित कर के भी 15 दिन पहले ही जारी कर दिया गया है । शायद माननीय सदस्य ने उसको नहीं पढ़ा होगा ।

अध्यक्षः सीताराम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं नहीं । माननीय मुख्यमंत्री जी जब उपस्थित थे और उन्होंने सुना था, तब उन्होंने सदन में घोषणा की थी उसी के संबंध में माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि 15 दिन पहले ही संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है । अब माननीय सदस्यगण जिला में उसके हवाले से अपने क्षेत्र विकास निधि से ये काम करा सकते हैं।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-7(डॉ0 मेवालाल चौधरी)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ये प्रश्नगत कब्रिस्तान रैयती है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने की नीति है । महोदय, ये रैयती जमीन पर कब्रिस्तान है । यह सरकारी जमीन नहीं है।

अध्यक्षः सरकार की सूची में नहीं है ।

डॉ0 मेवालाल चौधरीः अध्यक्ष महोदय, ये गांव के बीच में ये कब्रिस्तान स्थित है..

अध्यक्षः इन्होंने कहा कि सूची में नहीं है बीच में है वह हो सकता है लेकिन सूची में नहीं है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय रैयती जमीन है।

अध्यक्षः वह कह रहे हैं, रैयती जमीन है।

डॉ0 मेवालाल चौधरीः नहीं सर नहीं, वह रैयती जमीन नहीं है ।

अध्यक्षः अगर रैयती नहीं है तो उसके बारे में कागजात माननीय मंत्री को उपलब्ध करवा दीजिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-8(श्री मो0 नवाज आलम)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री (1)उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3)वर्त्तमान में बीबी जान वक्फ स्टेट संख्या 123 का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण निर्माण कार्य संभव नहीं है ।

श्री मो0 नवाज आलमः हुजूर, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उस बीबी जान के मामले में मुख्यमंत्री जी के बीच समीक्षा हुई थी 30-1-17 को । मैंने उन सवालों को रखने का काम किया था कि बीबी जान की लगभग 10 एकड़ जमीन को भू- माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है । वह पूरी जमीन विवादित नहीं है हुजूर, महोदय, माननीय मंत्री जी को सही तरीके से सदन को जानकारी नहीं दी गयी उसमें काफी एकड़ जमीन है और मैं सरकार का इस तरह की सोच है कि अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय जो बनाने का है विद्यालय का तो क्यों नहीं, वह जमीन जो भू-माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, पूरे शाहाबाद के लोगों की इस पर निगाह है, वैसी जमीनों पर क्यों नहीं आवासीय विद्यालय बनाया जा सकता है महोदय । ये बात वक्फ के तमाम जो कमिटी है, उसके चेयरमैन और उसके तमाम लोगों से जानकारी मांग लिया जाय । उस मामले को कहीं न कहीं लीपापोती किया जा रहा है इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि वह जमीन पर निश्चित रूप से जो भू-माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उस पर आवासीय विद्यालय बनाया जा सकता है, उसकी जमीन का रेकर्ड मंगवाकर देख लिया जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य नवाज जी, माननीय मंत्री ने कहा है कि उस जमीन से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में है और आप कह रहे हैं कि सारे जमीन का मामला न्यायालय में नहीं है । यही न आप कह रहे हैं?

श्री मो0 नवाज आलमः जी

अध्यक्षः तो जिस अंश का मामला न्यायालय में नहीं है, उसकी सूचना आप माननीय मंत्री को दीजिए, उस पर विचार करेंगे । जिस पर उच्चतम न्यायालय का रोक नहीं है, वह सूचना उनको अलग से दे दीजिये।

श्री मो0 नवाज आलमः वह सरकार में है हुजूर और सरकार के पास तो सारी चीजें होती हैं । हम भी दे देंगे लेकिन उनको उपलब्ध कराना इनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है महोदय ।

श्री मो0 नेमातुल्लाहः ऑनरेवुल सुप्रीम कोर्ट में किस स्थिति में पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है उसकी? सरकार गयी है एस0एल0पी0 में या प्राइवेट पार्टी कोई गया है, उसकी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में ये बताये माननीय मंत्री जी।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसको देख लीजिये कि जो इतने अंश पर मामला न्यायालय में है अगर उससे बची हुई जमीन है और उस पर बनाया जा सकता है तो आप उस पर विचार कर लीजिये।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्रीः ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या-9(श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय, (1) वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा श्मशानों की घेराबंदी कराये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

2- उपर की कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

टर्न-7/मधुप/23.07.2018

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, सदन को एक चीज हम स्मरण कराना चाहेंगे, जो पार्टी आज सरकार में शामिल है, चुनाव के दिनों में चिल्ला-चिल्ला कर गला फाड़ करके पार्टी के द्वारा कही जाती थी कि भाईयों-बहनों, जब कब्रिस्तान.....

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये न !

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है । उस समय बोला जाता था कि भाईयों-बहनों, कब्रिस्तान बन रहे हैं तो श्मशान बनना चाहिये कि नहीं बनना चाहिये, यह हल्ला करके गला फाड़ करके बोला जाता था । महोदय, हम सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं.....

अध्यक्ष : आप चुनाव के समय कही गई बात को चुनाव में ही बोलियेगा, यहॉ पर जो बात है वह बोलिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, क्या चुनाव में सारे मुद्दे के बारे में बात स्पष्ट हो जानी चाहिये । क्या इसको जुमला समझा जाय, महोदय ?

महोदय, हम विषय की तरफ आना चाहते हैं । श्मशान के अभाव में जो गरीब हैं, जिनको रहने के लिए अपनी जमीन नहीं हैं, आप जानते हैं महोदय, कि आज रोड के किनारे बसे हुए लोग, जब उनके परिजन मरते हैं, उन्हें दफनाने का कोई एक जगह भी नहीं है ।

अध्यक्ष : राजेन्द्र जी, आप क्या कह रहे हैं वह समझ रहे हैं ? आप कह रहे हैं कि श्मशान के अभाव में रहने के लिए जगह नहीं है ?

श्री राजेन्द्र कुमार : नहीं-नहीं । जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, बसने की जगह नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जिनको आवासीय भूमि नहीं है,उनके घर में अगर कोई मृत होते हैं...

अध्यक्ष : रहने के लिये इन्दिरा आवास की भूमि अलग चीज है, श्मशान अलग चीज है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अगर उनको इन्दिरा आवास नहीं है तो उनके घर में जब कोई मृत होते हैं उनको दफनाने के लिए जगह श्मशान की आवश्यकता है और सरकार के द्वारा.....

अध्यक्ष : इन्दिरा आवास तो छोड़ दीजिये, जो आलीशान मकान में भी रहते हैं, वह भी श्मशान घाट पर ही न जलाते हैं !

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मेरा सवाल वही है कि श्मशान घाट की आवश्यकता है और सरकार के द्वारा अभी जवाब में दिया जा रहा था कि कब्रिस्तान के लिए विधायक कोष से भी बनाया जा सकता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ कि विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विधायक कोष से किसी भी हालत में कब्रिस्तान और श्मशान नहीं बनाया जायेगा क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट चिट्ठी नहीं है ।

अध्यक्ष : क्या ? अभी न बात हुई है कि 15 दिन पहले सूचना निकली है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, या तो सरकार सदन को गुमराह कर रही है या विभाग सरकार को गुमराह कर रहा है । महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कबतक श्मशान घाट बनेगा ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 10 (श्री अजीत शर्मा)</u>

अध्यक्ष : गृह विभाग, श्री अजीत शर्मा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 12:00 तो हो गया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न पुट हुआ । माननीय सदस्य को उत्तर भेजवा दीजियेगा । प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 23 जुलाई, 2018 के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री जीतन राम मांझी, श्री सुदामा प्रसाद, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सदानन्द सिंह जी से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

माननीय सदस्यगण, आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन और उसके निष्पादन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम- 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : क्या कार्य स्थगन प्रस्ताव है, कम से कम इतना तो पढ़ दिया जाय।

अध्यक्ष : वैसे सदन की सहमति से पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन आपका नियम यही कहता है कि अगर सूचना अमान्य हो गई तो उसको न पढ़ा जा सकेगा और न उसपर विमर्श किया जा सकेगा । आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिये । आप जिक्र कर लीजिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सदन में यह परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य के द्वारा यदि कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय बतायेंगे कि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव है और यह नियमानुकूल है या नहीं है । तो क्या कार्य स्थगन प्रस्ताव है ? सदन जानना चाहता है ।

अध्यक्ष : कार्य स्थगन प्रस्ताव की अमान्य सूचना को पढ़ने का या उसको जिक्र करने का नियम नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह अमान्य हो ही नहीं सकता है ।

अध्यक्ष : यह अमान्य तो हो चुका ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, हमलोग सहयोग करना चाहते हैं हाउस को चलाने में ।

अध्यक्ष : माननीय सिद्दकी साहब, यह भी परम्परा रही है, आप भी पुराने सदस्य रहे हैं, हमलोग भी बहुत दिन से देख रहे हैं कि सूचना अमान्य हो जाने पर नियम कहता है कि न उसको पढ़ा जायेगा और न उसपर कोई जिक्र होगा लेकिन किसी जनहित के मामले की जो अहमियत होती है उसको देखते हुए नेतागण प्रस्ताव लाते हैं । उसका जिक्र करते रहे हैं इसलिये नेता प्रतिपक्ष यदि जिक्र करना चाहते हैं तो करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, ज्वलंत मुद्दा है ।

अध्यक्ष : इसलिये हमने कहा कि उसका जिक्र कर सकते हैं उसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बड़ा गम्भीर मसला है, जैसा शुरू में हमने आपको बताया, बिहार में लगभग 53 प्रतिशत सामान्य वर्षा से

कम हुई है, 85 प्रतिशत धान की बुआई नहीं हो पा रही है । लगातार हमलोगों की मॉग है कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय और जो किसान को नुकसान हो रहा है, पहले से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं है और जो बारिश नहीं हो पा रही है, उनके घर-बार के बच्चे वगैरह भूखे मरने के कगार पर आ गये हैं, उनकी स्थिति आत्महत्या करने के कगार पर आ गई है । इससे पूरा बिहार प्रभावित हो रहा है । अबतक क्या योजना राज्य सरकार की है सुखाड़ से, आपदा से निपटने की, अभी तक कोई क्लीयर नहीं हुआ है । आनन-फानन में, आज हमने न्यूज के माध्यम से देखा है कि आज डीजल अनुदान ऑनलाईन करने का काम किया । आपदा का जो गाईड-लाईन है, सामान्य वर्षा 19 प्रतिशत से अगर कम होती है तो मई-जून तक ही अनुदान, डीजल का सबसिडी लोगों को, किसानों को बॉट देना चाहिये लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

दुख इस बात का है कि पब्लिक अफेयर इन्डेक्स में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य में गिना गया है, यह सार्वजनिक हुआ है, केरल उसमें नम्बर वन पर है । हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहॉ सुशासन का राज है, हम काम करते हैं । तमाम विषयों को लेकर, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इसपर अभी तक कोई गम्भीरता नजर नहीं आ रही है। अभी आनन-फानन में मुख्य सचिव मीटिंग कर रहे हैं लेकिन हमलोगों की मॉग है कि इसपर तुरंत इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाय और इस विषय पर विचार किया जाय ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष में जिन बातों को सदन में उठाया है, बहुत गम्भीर है और आपने अपने अधिकार से इसको नामंजूर कर दिया लेकिन नामंजूर करने के पहले आपको विषय की जानकारी कि विषय क्या है, इसपर आपको डिटेल से बोलना चाहिये, वह चूक हो गई ।

दूसरी बात यह है कि इससे महत्वपूर्ण बात क्या होगी ? सम्पूर्ण बिहार सूखे की चपेट में परेशान है, किसान और आम जनता परेशान है । आप विधेयक की बात कर रहे हैं कि विधेयक के कारण आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्थगित किया या नामंजूर किया । आप कैसे फिर लाना चाहते हैं ? यदि आप दूसरी प्रक्रिया के अधीन लाना चाहते हैं, वह भी तो स्पष्ट कीजिये । ऐसे सिर्फ कह देने से कि नामंजूर हो गया तो फिर दो-तीन दिनों का सत्र है, इस सत्र में यदि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, अपराध की वृद्धि पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा किस विषय पर होगी ? सिर्फ साधारण-सी बातों को लेकर जो प्रक्रियात्मक बातें हैं, उसी पर चर्चा होगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं बात रखना चाहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक हुई थी, बैठक में लोग कुछ निर्णय करते हैं और बाहर में आकर अपनी बात अलग रखते हैं। यह उचित नहीं है । सर्वदलीय बैठक में सिद्दकी साहब भी थे और ललित जी भी

थे । यह बात हुई कि किसी तरह के विषय पर अगर स्पेशल डिबेट भी करना चाहें..

(क्रमशः)

टर्न-8/आजाद/23.07.2018

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : (क्रमशः) तो हमलोगों को कोई एतराज नहीं है, यह सहमति बनी थी, तो दूसरे तरीके है ही । इसलिए कार्य-स्थगन का कोई सवाल ही नहीं है, जब सर्वदलीय बैठक में ये बातें आपने भी स्वीकार कर लिया सर्वसम्मति से, आप सुन तो लीजिए ।

अब आपका दल आपको नहीं भेजता है सर्वदलीय बैठक में तो मैं क्या करूं । सिनियर नेता लोग आते नहीं है, इस बात पर सहमति हो चुकी थी । इसलिए दूसरे तरीके हैं, इसपर सरकार कहां भाग रही है ?

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू ।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, माननीय मंत्री वरिष्ठ मंत्री हैं और उससे कम अनुभव वाले हमलोग हैं। ऐसी बातें न करें जो अनधिकृत रूप से गलत बात करते हैं । कम से कम .....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : कौन सी गलत बात, आप विधायक दल के नेता हैं और आप नहीं आये थे, आप प्रतिनिधि भेज दिये थे, उनसे परामर्श करना चाहिए था कि क्या-क्या हुआ? हमसे अनर्गल बात की अपेक्षा मत करिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति का रेफरेंस कर रहे थे माननीय मंत्री विजेन्द्र यादव जी, कार्यमंत्रणा में तो यह तय हुआ था कि राज्य की ज्वलंत समस्या है किसानों की, सूखे की स्थिति है, चर्चा करायी जा सकती है । उसको आपने अमान्य कर दिया, अमान्य किया आपको अधिकार है, महोदय लेकिन ऐसे ज्वलंत समस्या को दरकिनार कर दिया जाना, आखिर राज्य की जनता को .....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात पूरी होने दीजिए तो इस समस्या पर चर्चा कराने से सरकार क्यों भाग रही है ? आखिर जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता कष्ट में है, इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो कब चर्चा होगी, कहां चर्चा होगी, बाहर चर्चा हो सकती है ? इसलिए सदन में चर्चा कराने की इजाजत सदन में स्वीकृत हो और आप महोदय चर्चा करायें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, ...

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : इनका सुन लीजिए, इसके बाद ही बोलियेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हमलोगों का सुन लीजिए, उसके बाद बोलियेगा । महोदय, हालांकि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया है और आपने कारण बताया है, चूँकि

राजकीय विधेयक है, इस वजह से इसको अमान्य किया जा रहा है । इसी हाऊस में महोदय यह परम्परा अपवाद में कई बार हो चुका है कि जो ज्वलंत सवाल है, बिहार से संबंधित सवाल है, किसानों से संबंधित सवाल है, उसपर नियम, कायदे को ताक पर रखकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के अविश्वास प्रस्ताव पर इसी हाऊस में बहस हुई थी ।

महोदय, 89 फिसदी लोग गांव में रहते हैं, किसान और मजदूर की हालत बद से बदतर हो गई है, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि लोग भूख के कगार पर हैं, भुखमरी के कगार पर हैं । महोदय, मुझे आपत्ति है कि हमारे माननीय मंत्री जी, बात को तोड़-मरोड़ कर, जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होती है, तोड़-मरोड़ कर उस बात को नहीं रखें । उस वक्त कोई निर्णय नहीं हुआ था, हमलोगों ने कहा था कि कुछ जो है स्पेशल डिवेट के लिए हमलोग दे सकते हैं, जिसमें सुखाड़ जैसा ज्वलंत सवाल भी है । लेकिन इन्होंने कहा कि अभी एक-दो रोज पानी पड़ेगा । कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में जो चर्चा होती है, उसको यहां आम नहीं करना चाहिए नम्बर-1, चूँकि आपकी अध्यक्षता में वह बैठक होती है । तो महोदय, विशेष परिस्थिति में 89 फिसदी लोग आज त्रस्त हैं और बिहार के लिए इससे बड़ा मुद्दा इस सदन के लिए, बहस के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको महोदय मान्य किया जाय ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा चाहे, सरकार तैयार है। आप अगर विशेष वाद-विवाद कराना चाहे, आप कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर तय करा दीजिए, हम तैयार हैं या फर्स्ट सप्लीमेंट्री में जो तीन घंटा बहस होगी, उसमें आप आपदा प्रबंधन पर ही बहस करा दीजिए, हम तैयार हैं, उसमें सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जायेगा और मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी मामला उठाया है, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बिजली के दर को कम करने का निर्णय लिया गया है और डिजल अनुदान पहले 35 था, उसको बढ़ाकर 40 किया गया, अब 50 कर दिया गया । यानी आपदा का, सूखे का मुकाबला करने के लिए तीन बार बैठक हो चुकी है अध्यक्ष महोदय और जितना निर्णय करना संभव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का होगा । जो आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको करेंगे । टैंकरों की संख्या बढ़ाकर 500 करने का निर्णय लिया गया है । बन्द पड़े जो चापाकल हैं, उसको चालू करने का निर्णय लिया गया है, बिजली की दरों को कम करने का निर्णय लिया गया है और अध्यक्ष महोदय, यह लग रहा था कि वर्षा हो जायेगी और नियम है, आपको नहीं जानकारी है,

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी : वाणसागर से कब पानी दिलवायेंगे ताकि बिहार में सूखा ....

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, वाणसागर से पानी मिलना प्रारंभ हो गया है । आप जब चाहे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महादेय, बड़ा दु:खद है कि परम्ज्ञानी हमारे उपमुख्यमंत्री जी की जानकारी यह है कि वाणसागर मिर्जापुर, यू0पी0 में है, इनको यह पता नहीं है.....

अध्यक्ष : अब वाणसागर की बात कहां आ गई ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,नेता विरोधी दल : नहीं,नहीं महोदय, एग्रीमेंट है, कितना पानी आयेगा, डबल ईंजन की सरकार है, कब पानी दिलायेंगे ? पिछले बार बाढ़ में जो घोषणा की गई थी कि 500 करोड़ रू0 का पैकेज देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को 1.25 लाख करोड़ रू0 स्पेशल पैकेज देंगे, ये सारी बातें जुमलेबाजी है महोदय । केवल कागजों पर रहता है, ऐसे निकम्मी सरकार जो जुमलेबाजी करती है, बिहार को गुमराह करती है, इससे बड़ी समस्या और कुछ नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । नेता,प्रतिपक्ष .....

(व्यवधान)

हमने आपलोगों की बात सुनी और मेरी बात आपलोग नहीं सुनियेगा ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : आप जाईए न । हम बोलते हैं । हम तो कह रहे हैं ।

माननीय सदस्यगण, सभी लोगों ने .....

(व्यवधान)

टर्न-9/अंजनी/दि0 23.07.18

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप ही लोगों का शून्य काल है ।

(व्यवधान)

शून्य काल । नहीं मतलब है ? हाउस को स्थगित कर दें ?

<u>शून्य काल</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी यादव ।

(व्यवधान)

शून्य काल सुनिए इनका ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/शंभु/23.07.18

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग ।

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री : महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(3) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त)(संशोधन) नियमावली, 2018 को दिनांक-01.01.2016 से प्रवृत्त किये जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, निवेदन समिति ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत निवेदन समिति का चतुर्थ, पंचम तथा षष्टम् प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी प्रथम पाली में सदन के शुरू होते ही और फिर बाद में शून्यकाल के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ अनेक विपक्ष के माननीय नेताओं और सदस्यों ने राज्य में सूखे की स्थिति के संबंध में मामला उठाया था, हमने आसन से कहा था कि सरकार ने भी सूचना दी है, मुख्यमंत्री ने स्वयं सूचना दी थी कि इस विषय में सरकार संवेदनशील है और वह कार्रवाई कर रही है । हमने उस समय भी कहा था कि सदन के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उसमें इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के पर्याप्त अवसर हैं और इसके बावजूद पूरी बात तो सुन लीजिए- इसके बाद कार्य-मंत्रणा समिति की भी चर्चा हुई थी उसमें जो विमर्श हुआ था । यह सही बात है कि कार्य-मंत्रणा समिति में चर्चा के दौरान आपलोगों ने यह बात उठायी थी कि इसके अलावा कोई वैसे महत्वपूर्ण विषय होंगे तो उसपर अलग से हमलोग वाद-विवाद का प्रस्ताव दे सकते हैं यह सही बात है और उससे आसन को एतराज नहीं है बल्कि हमें खुशी होगी कि विधिवत् ढंग से अगर सदन की सहमति हो, सरकार ने भी कहा है अपनी तरफ से कि वह इसपर विशेष वाद-विवाद या जो भी मोशन तैयार हो, चर्चा के लिये तैयार है । इस सत्र की या इस पाली की समाप्ति के तत्काल बाद हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला लेते हैं अगर आपकी सहमति हो और विशेष वाद-विवाद कराना चाहते हैं तो उसका समय निर्धारित हो जायेगा इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सरकार अगर गंभीर है और संवेदनशील है सुखाड़ के मामले में तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाय और इसपर बहस हो जाय और यदि

सरकार गंभीर नहीं है और सुखाड़ का मजाक उड़ा रही है तब तो फिर कुछ कहना नहीं है ।

अध्यक्ष : यह बात तो आप कह दिये अब यह न बताइये कि हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएं कि नहीं बुलाएं । हमको तो यह बताइये न ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : आप कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइये और एजेंडा में जो हमलोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसपर भी विचार-विमर्श हो।

अध्यक्ष : ठीक है । कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक इस पाली की समाप्ति के तत्काल बाद होगी, सभी माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं वे इससे सूचित हो जाएं, सभा-सचिवालय के तरफ से भी सूचना दे दी जायेगी । अब विधायी कार्य ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, आज जुलाई 23 तारीख हो गया, किसानों की चिंता इनको नहीं है, केवल अपनी चिंता है, सरकार बचाने की चिंता है, कुर्सी से प्रेम इनका है, भ्रष्टाचार से समझौता किये हुए हैं और इस राज में आर0सी0पी0 टैक्स एक दूसरा लगा रहे हैं।

अध्यक्ष : फिर आप विवाद की बात बढ़ा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई इस तरह की टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और सदन की कार्यवाही से उसको अलग किया जाना चाहिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,ने0वि0द0 : आज के कार्य के बाद बुलाइयेगा । हमारा प्रस्ताव है कि अभी स्थगित कराकर अभी कार्य-मंत्रणा की बैठक बुला ली जाय, विधायी क्या होगा अभी तो सुखाड़ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दु है ।

अध्यक्ष : एक चीज हम सभी माननीय सदस्यों से जरूर अनुरोध करेंगे कि कोई भी व्यक्ति यह आपकी नियमावली में है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं और खासतौर से जो दूसरे सदन के.....

(व्यवधान)

मतलब यह है कि आप आर0सी0पी0 सिंह के बारे में नहीं कह रहे हैं यही न ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किसी व्यक्ति के बारे में नाम लेने का जिक्र किया है । आर0सी0पी0 टैक्स का मतलब हम समझते हैं रिजर्व कलेक्टिव प्रोजेक्ट, मगर आप समझ रहे हैं आर0सी0पी0 का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो आप बता दीजिए कौन है ? हम तो यह समझ रहे हैं कि आर0सी0पी0 का मतलब है रिजर्व कलेक्टिव प्रोजेक्ट ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018- प्रभारी मंत्री, मद्यनिषेध उत्पाद निबंधन विभाग ।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : जी हां । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैं इस शर्त्त पर सिद्धांत पर बोलने के लिए तैयार हूँ कि विपक्षी द्वारा जो भी इस विधेयक में संशोधन लाए जाएं उसपर सरकार गंभीरता से अमल करे और विचार करे । महोदय, बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम, 2016, बिहार अधिनियम 2016 का संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है और इसमें 17 संशोधन है एक साथ और जिसमें 17 संशोधन विलोपित करने के लिए है और 17 संशोधन केवल प्रतिस्थापन के लिए है, लेकिन महोदय, अगर आप स्वयं पढ़े होंगे विधेयक को तो आप देखे होंगे कि विधेयक की पूरी कहानी में केवल दंड का

संशोधन ही किया गया है । महोदय, आप जानते हैं, आपके संज्ञान में है कि हम सभी दल मिलकर, गठबंधन के लोग मिलकर सरकार के इस प्रोग्राम में साथ दिये हैं।

क्रमशः

अशोक/टर्न–11/23.07.18

श्री रामदेव राय : ...क्रमशः ... महोदय, सरकार के इस प्रोग्राम में हमलोग साथ दिये हैं, हमलोग हाथ से हाथ मिलाकर रोड पर खड़ा होकर कार्यक्रम को सफल बनाये हैं लेकिन उनका यह प्रोग्रम फ्लॉप कर गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या नहीं मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : मूव तो कर दिया ।

अध्यक्ष : ठीक । अब जनमत जानने का प्रस्ताव ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव, मो0 नेमतुल्लाह, श्री भोला यादव एवं डॉ. रामानुज प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

मूव नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2018 " पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ । खंड–2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड–2 इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड -3 में चार संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे । मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-4 में दो संशोधन है ।

अभी विधायी कार्य चल रहा है, हमने कहा है कि विधायी कार्य समाप्त होते ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हम बुला रहे हैं, तो उसमें फैसला ले लीजियेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल, कॉग्रेस सहित विपक्ष के माननीय सदस्यगणों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रामदेव राय जी महोदय आर.जे.डी. की अकर्मण्यता के चलते आहत महसूस कर रहे हैं महोदय, इनको संरक्षण की जरूरत है महोदय । और रामदेव बाबू को प्रोटेक्शन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी के जो सम्मनित सब नेता है, माननीय विधायक हैं वे भी भावना के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, संसदीय कार्यो में रामदेव बाबू की जो रूचि है महोदय, और इस सदन का लम्बा अनुभव है, लम्बे अनुभव का लाभ लेने नहीं देना चाहते हैं और जो माननीय सदस्य हैं वे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप उनको संरक्षण देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू संरक्षण मांगेंगे तब न !

अध्यक्ष : विधेयक के खंड-4 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-5 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-6 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-8 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-9 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-10 एवं खंड-11 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-10 एवं खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 एवं खंड-11 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : खंड-12 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-13 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-13 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-13 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-14 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-15 एवं खंड-16 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" खंड–15 एवं खंड–16 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–15 एवं खंड–16 इस विधेयक के अंग बने ।

टर्न:12/ज्योति/23–07–2018

अध्यक्ष : खण्ड–17 में एक संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–17 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–17 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग्र बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि '' बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और हमलोगों की अपेक्षा थी कि समाज सुधार की दिशा में जो एक बड़ा

कदम उठाया गया और दसअसल समाज सुधार की जो बुनियाद रखी गयी बिहार में शराब बंदी लागू करके और उसके बाद इसका जो व्यापक, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसके मद्दे नजर रखते हुए, जो कहीं कहीं कुछ कमियॉ नजर आयी हैं उसको ध्यान में रखते हुए । इसपर निरंतर चिंतन और मनन होता रहा और उस परिस्थिति में जो कुछ संशोधन का यह प्रस्ताव विधेयक लाया गया मुझे तो उम्मीद थी कि सब लोग इसमें भाग लेते । जब पहली बार शराब बंदी लागू हुई और इसके लिए जो पुराने उत्पाद अधिनियम, 1915 का संशोधन विधेयक यहॉ लाया गया था और उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया था और शराब बंदी लागू करने के लिए मद्य निषेध की जो नीति तय की गयी थी और उसको ध्यान में रखते हुए वह संशोधन विधेयक लाया गया था 2016 में तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सदन में बहुत ही जीवंत चर्चा हुई और सर्वसम्मति से पारित हुआ और सिर्फ वह विधेयक ही नहीं पारित हुआ बल्कि सदन के तमाम सदस्यों ने संकल्प लिया कि लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि वे शराब न पीएं और खुद भी कभी शराब नहीं पियेंगे । यह कोई मामूली बात नहीं थी और इसके बाद विधान मंडल के विधान परिषद् में भी यही प्रस्ताव आया और उसी प्रकार से लोगों ने संकल्प लिया और उसके बाद तो एक माहौल बना और उसके लिए जबर्दस्त सामाजिक अभियान चलाया गया था जबसे हमलोगों ने यह फैसला लिया था कि हम इसे 1, अप्रील से लागू करेंगे तो पूर्व में ही महीनों इस विषय पर कैंपेन किया गया था और उसका व्यापक असर था । हमलोगों ने सोचा था कि शराब बंदी को तो लागू करेंगे पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे लेकिन उसको चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे इसलिए हमलोगों ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रील, 2016 से पूरे प्रदेश में देशी शराब बंद होगा, ग्रामीण अंचल में विदेशी शराब भी बंद होगी और सिर्फ जो नगर निगम और नगरपालिका वाले शहर हैं वहीं विदेशी शराब की इजाजत दी जायेगी और बाद में उसपर भी निर्णय लिया जायेगा चूंकि हमलोगों ने तय किया था कि चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे । लेकिन जब 1, अप्रील को यह लागू हुआ और शहरों में नगर निगम और नगरपालिका वाले शहरों में कोई शराब की दुकान जब खुलने लगी तो जबर्दस्त रुप से उसका विरोध हुआ । यह घटना विभिन्न शहरों में एक अप्रील, 2 अप्रील, 3 अप्रील और 4 अप्रील को हुई । 4 अप्रील को सत्र यहॉ समाप्त हुआ था, 4 अप्रील की शाम में हमलोग बैठे और पूरे इस विषय की हमलोगों ने समीक्षा की । हमलोगों ने यह सोचा था कि पूरे बिहार में, ग्रामीण अंचल में जबर्दस्त अभियान चलाया गया है और इसके बाद हमलोग इसको लागू कर रहे हैं। कितना इसका प्रभाव हुआ था अभियान का कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने घर में बच्चों के सामने हस्ताक्षर किया था कि शराब नहीं पीयेंगे और शराब बंदी के पक्ष में और कितने बड़े पैमाने पर नाटक मंचन हुआ और संगीत के कार्यक्रम

हुए, अनेक कार्यक्रम हुए । 9 लाख से भी ज्यादा दिवालों पर लोगों ने लिखा शराब बंदी के पक्ष में । इसतरह का अभियान चलाया गया था । हमलोगों ने सोचा ग्रामीण अंचल का तो वातावरण बहुत अच्छा बना है लेकिन शहरी अंचल में हमें आगे इसी प्रकार का वातावरण बनाना है तब लागू करेंगे लेकिन जब 1, अप्रील से शहरों में दुकानें खुलने लगी तो सबको मालूम है उसका जबर्दस्त विरोध हुआ । महिलाओं ने, पुरुषों ने भी, युवाओं ने सब ने विरोध करना शुरु किया तो यह हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय था । हमलोगों ने सोचा था कि उसमें अभियान चलाना पड़ेगा लेकिन यहाँ तो ग्रामीण अंचल में अभियान चला लेकिन उसका शहर पर भी इतना प्रभाव था कि लोग शहरों में शराब की दुकान खोलने के विरोध में उतर आए सड़कों पर, तब हमलोगों ने 4, अप्रील को इस पर निर्णय किया और 5 अप्रील को फिर हमलोगों ने यह निर्णय लिया कि अब शहर में भी जो नगर निगम और नगरपालिका के शहर हैं उन शहरों में भी विदेशी शराब बंद यानी पूर्ण शराब बंदी 5 अप्रील, 2016 से लागू हो गयी और यह काम हुआ । इसके बाद एक नया कानून हमलोगों ने सोचा कि अब पुराना कानून है इसमें कई चीजें हैं उसमें उत्पाद यानी जो शराब बनाया जाता है उससे रिलेटेड और कई चीजों का जिक्र है । हमलोगों ने कहा कि जब हमलोगों का सिद्धांत है कि हम पूरे बिहार में मद्य निषेध लागू करेंगे । पूरे तौर पर शराब बंदी लागू हो गयी तब यह जो पुराना कानून है उसकी जगह पर हमलोगों को नया कानून लाना चाहिए और प्रोहीबीशन ऐक्ट यानी मद्य निषेध कानून लाना चाहिए । वह मद्यनिषेध कानून लाया गया । उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर जब सदन में चर्चा हुई तो उस समय भी उसके बारे में विभिन्न प्रकार की राय आयी, वह विधेयक पारित हुआ लेकिन उस विधेयक के पारित होने के पश्चात् ही हमलोगों ने देखा कि भाई हमलोग इस कानून को 2 अक्तूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमलोगों ने लागू किया 2016 में उस कानून को । उस कानून को जब लागू किया गया तो उसके बाद कई तरह की शंकाएं आयी थी , यह एक बहुत ही कठोर कानून है इसका दुरुपयोग हो सकता है । तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही हमलोगों ने इसके लिए लोगों की राय मांगी और लोगों के साथ लोक संवाद भी किया । नवम्बर में ही सर्वदलीय बैठक की गयी 2016 में । उनकी भी राय आयी । इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमलोगों ने सोचा कि इसपर लीगल परामर्श प्राप्त करें तो चूँकि वह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस लीगल परामर्श को प्राप्त करने में तो यह एक विचार आया कि हमने अभी लागू किया है, इसलिए तत्काल नहीं, इसका कुछ अनुभव आना चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए । इसके पश्चात् हमलोगों ने एक एक चीज को वाच करना शुरु किया और जब देखा कि इतने कड़े कानून के बाद भी जगह जगह कुछ

धंधेवाज लोग धंधा कर रहे हैं और लोगों को हमलोगों ने निरंतर कहा कि कानून एक पहलू है लेकिन उससे भी बड़ा पहलू है, वह है सामाजिक अभियान, जब हम लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान नहीं चलाते रहेंगं और सब लोग इस विषय पर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ कानून से पूर्ण रुप से यह कारगर नहीं हो सकता । कारगर है लेकिन पूरे तौर पर, इधर उधर कुछ लोग धंघेवाज लोग यह धंधा करते हैं और यह सब को मालूम है मनुष्य है, आदमी है तरह तरह की सोच वाले लोग होते हैं । आप कुछ भी कर दीजिये लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग होगी ही । कुछ लोग नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जो सामाजिक सुधार की बात होती है, उसको भी पंसद नहीं करते हैं । ऐसे कुछ लोग होते हैं । चंद लोग, अधिकांश लोग नहीं होते हैं । बहुत चंद लोग, कुछ ही गिनती वाले लोग होते हैं ।

क्रमशः

टर्न-13/23.7.2018/बिपिन

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः क्रमशः कम संख्या में लोग होते हैं लेकिन कुछ इस तरह का, तो हमलोगों ने एक और काम किया कि भई, लोगों के बीच में हम तो अभियान चलाएं ही और जगह-जगह अगर शिकायत मिलती है तो हमलोगों ने एक तंत्र विकसित किया है और वह है आई.जी. प्रोहिबिशन का तंत्र, और उसमें कहा कि भई, इनको अगर इस मामले में कहीं से भी कोई कार्रवाई हो, उसको आप, कहीं कोई घटना घटे, उसपर आप नजर रखिए और किसी भी मामले को यह जो हमलोगों ने आई. जी. प्रोहिबिशन का तंत्र सी.आई.डी के अंतर्गत विकसित किया, वह अपने हाथ में ले सकता है, उसकी जांच-पड़ताल के लिए । यह सब कुछ किया गया कि ई.ओ.यू. के अंतर्गत के अंतर्गत कोई मामला है, उसको छोड़कर बाकी किसी भी मामले को यह ले सकते हैं और इसमें यह प्रावधान किया गया । एक तंत्र विकसित किया गया है कि कोई व्यक्ति को अगर मालूम होता है कि यहां कोई धंधा कर रहा है तो इसकी जानकारी अपने मोबाइल से, दो पर्टिकुलर फोन नम्बर है और जिसको प्रचारित किया जा रहा है और यह हमलोगों का निर्णय है कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई है तो जो बिजली का और खासकर ट्रांसफॉर्मर का खंभा है, उसपर वह नम्बर लिखा रहेगा और उस नंबर पर आप फोन कर दीजिए, जिनको भी यह लगता है । आपकी सूचना को, आपके नाम को गोपनीय रखा जाएगा और अब जब फोन करेंगे तो यह हमलोगों ने इंश्योर करने का विकसित किया है तंत्र, कि कम-से-कम समय में उस जगह पर कार्रवाई वह करे और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो जो शिकायतकर्त्ता हैं या सूचना देने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या जो कार्रवाई हुई, इससे आप संतुष्ट हैं ? तो इस तरह का तंत्र विकसित किया गया है । इसके लिए आई.टी. के जरिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, यह तंत्र विकसित

किया गया ताकि एक-एक चीज की जानकारी हो । किसी व्यक्ति ने यह कहा है और कोई उसको भूल न सके, इग्नोर नहीं कर सके, उसपर भी काम चल रहा है । 40-50 औसतन ऐसी शिकायतें भी आती है, उसपर भी कार्रवाई हो रही है, तो तंत्र को भी पूरी सख्ती से लागू करने के लिए हमलोगों ने काम किया लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है सामाजिक अभियान । हमलोगों ने जो कुछ इसको किया तो इसके बारे में यह भी पता चलता है, आप अगर किसी को अधिकार दे दीजिए तो आप जानते हैं कि कभी-कभी लोगों की प्रवृति होती है कि अगर अधिकार मिलता है तो उस अधिकार का हम दुरूपयोग करें । यह दुनिया को मालूम है । कई लोगों को अधिकार मिलता है तो उसका इस्तेमाल वह धन कमाने में करते हैं, तो यह स्वभाव कुछ लोगों का होता है । तो ऐसी स्थिति में सरकारी तंत्र में भी वैसे लोग हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि लोगों को परेशान करें तो हम लोगों ने इसकी भी समीक्षा की कि भई, अगर कहीं ऐक्ट में, कानून में कोई प्रावधान है जिसका कोई दुरूपयोग न करे तो एक-एक चीज की समीक्षा की गई, एक-एक बात को देखा गया - कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस प्रकार से गिरफ्तार हुए । हर चीज की समीक्षा की गई कि जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से ज्यादा लोग लगभग 70 प्रतिशत् लोग, मैं उसको, लगभग 70 प्रतिशत् लोग जो पीने वाले थे, कुल 70 नहीं, कुल मिलाकर अगर हम ऐवरेज देखें तो इसका जो आंकड़ा है, 01.4.2016 से लेकर 12 जुलाई 2018 तक के आंकड़ों का आकलन किया गया तो यह पाया गया कि ड्रिंक यानी पीने वाले जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और नॉन-ड्रिंक जो इसका धंधा करते हैं यानी शराब को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे थे, शराब को बेच रहे थे या जो कुछ भी या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, आदि-आदि, जो भी इसमें ऑफेंस है तो जो नॉन-ड्रिंक है उसको अगर देखें तो पूरे में लगभग 62 प्रतिशत् लोग पीने वाले पकड़े गए और 38 प्रतिशत् दूसरे प्रकार के लोग पकड़े गए । तो एक-एक चीज को देखा गया है और फिर बीच में तो बड़ा आरोप लगाया गया था कि इतने लोग जेल में बंद हैं तो मैंने तो पिछले ही सत्र में बता दिया था, पिछले सत्र में तो जेल के अंदर 8 हजार से कुछ ज्यादा, आसपास लोग थे, अभी जो हमने देखा है, 12 जुलाई का जो फीगर है जेल का, जेल के अंदर कुल लोग जो हैं, टोटल जेल की क्षमता है 39436 और आज की तरीख, 12 जुलाई को जेल के अंदर लोग थे 39087 जिसमें यह शराब से रिलेटेड मामलों में कुल संख्या जेल के अंदर बंद लोगों के 6932, अन्य अपराधों में जेल के अंदर बंद लोगों की संख्या 32155 यानी हमारी जेल की जो संख्या है उससे भी कुछ कम लोग ही जेल के अंदर हैं लेकिन तरह-तरह का प्रचार, गरीब-गुरबा को जेल में, किसी चीज को इस तरह का प्रचार करना, आखिर यह जो कानून लाया

गया या शराबबंदी लागू किया गया, यह किसके लिए किया गया ? यह तो गरीब-गुरबा लोगों के लिए किया गया है । जो अमीर लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब संसाधन हैं, शराब पीकर वह बीमार भी पड़ेंगे तो वह अपना इलाज भी करा सकते हैं लेकिन गरीब लोग अपनी गाढ़ी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में बर्बाद करता था और परिवार की हालत चिंताजनक थी, लौटकर जाता था, परिवार में झगड़ा करता था । बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, घर में भोजन वगैरह भी ठीक से हो नहीं पाता था । यह स्थिति थी । घर के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न होता था तो इस तरह की परेशानी में महिलाओं ने इसका मांग किया और गरीब महिलाओं ने ही इसका मांग किया । जो 9 जुलाई, 2015 को यहां नारी सशक्तिकरण पर एक सम्मेलन हो रहा था जिसका आयोजन महिला विकास आयोग और दूसरा डी.एफ. आई.डी. ने किया था और उसमें जब हमलोग बोलकर बैठे थे महिला सशक्तिकरण पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में तो कोने से चार-पांच महिलाओं ने आवाज लगाई-शराब बंद कर दीजिए । हमने उसी समय वादा किया था कि अगली बार सरकार में आएंगे तो उसको बंद करेंगे और उसको बंद किया । हमलोगों के मन के अंदर भी कई प्रकार का द्वंद्व था- कितना इफेक्टिव लागू होगा, क्या होगा ? इस सब को, एक मिनट में वह द्वंद्व वह मन का निकला और यह कहा । इसके बाद हमलोगों ने इसको लागू किया । कौन लोग हैं जो शराब से सबसे बुरी तरह प्रभावित थे, जिनका परिवार बर्बाद हो रहा था ? आज तो हम देख रहे हैं हिन्दुस्तान अखबार में, सारे अखबारों में, जो भी अखबार है, सबने अपने-अपने ढंग से आकलन किया, लिखा । आज हम देख रहे थे कि शराब का क्या बुरा असर है । किस प्रकार से आज से चार साल पहले कैसे आदमी मरा, अलग-अलग जगहों पर जाकर । शराब का कितना दुष्प्रभाव था ? परिवार पीड़ित था, पीने वाला मर रहा था और वह कौन थे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गरीब-गुरबा लोग थे । सामाजिक रूप से जो हाशिए पर थे, वे थे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-अति पिछड़े वर्ग के लोग । सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग । इन्हीं लोगों के बीच से सबसे ज्यादा लोग थे । और जातियों के भी लोग भी थे लेकिन सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा था ? सबसे अधिक दुष्प्रभावित वह हो रहा था । अब कोई शराब चुलाता था घर में । दूसरा काम कर सकता । यह चुलाता था । अब आप बताइए, रात में शराब चुलाने के बाद गरम-गरम लीकर का वह सेवन कर लेते थे । नतीजा हुआ उनका किडनी से लेकर सब कुछ बर्बाद होता था । 50 साल की आयु में मर जाते थे । वे कौन थे ? वे किस समाज से आते थे ? लोग बात करते हैं । उनकी रक्षा के लिए हमलोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग बताते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं । कौन परेशान हो रहा है? जो शराब पीएगा, उसको लोग समझाएंगे, नहीं मानेगा, पीते हुए पकड़ा जाएगा,

उसके बाद अगर कोई बंद होता है, उसकी संख्या कितनी है लेकिन यह 12 करोड़ लोगों में जो 85 प्रतिशत् लोग उस प्रकार के हैं जिनका फायदा हो रहा है जिनका जीवन बेहतर हो रहा है, गरीब परिवारों का जीवन बेहतर हो रहा है, ये भूल गए और जो चंद लोग पीने के कारण अंदर जाते हैं उनके पक्ष में बोलते हैं कुछ लोग । उनको प्रेरित करना चाहिए कि मत पीयो, बर्बाद हो जाओगे । यह करना चाहिए । उल्टे उसके डिफेंस में लोग कुछ बोलते हैं, उसकी रक्षा में बोलते हैं । यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह जो लागू हुआ है शराबबंदी, इसके पक्ष में जो मानव श्रृंखला बनी 21 जनवरी 2017 को, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया । कौन पार्टी है जिस पार्टी के लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा नहीं लिया । चार करोड़ लोग जिस मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रहे हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए हों पूरे बिहार में और आज चंद लोग, मानव श्रृंखला में शामिल होने वाले भी चंद लोग तरह-तरह की बात करे, यह आश्चर्य लगता है । मैं सबसे अपील करूंगा कि इस तरह से आप पथ से भटकिए मत क्योंकि यह इतना बड़ा काम हो रहा है समाज सुधार का कि चंद लोग, कुछ धंधा करने वाले लोग, कुछ पीने वाले लोग जो परेशान हैं, उनके पक्ष में मत खड़ा होइए और हमलोगों ने पूरी समीक्षा की। जो हमने बताया कि पीने वाले ज्यादा पकड़ाए थे । अब एक-एक चीज की कहीं कोई दुरूपयोग हुआ हो । एक जगह हम जा रहे थे, प्लेन में एक आदमी ने मुझसे शिकायत की । मैंने उसकी पूरी पड़ताल कराई, पूरी कार्रवाई की । तो हर पहलू का अध्ययन किया गया । क्रमशः ..

टर्नः 14/कृष्ण/23.07.2018

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : क्रमशः कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कानूनी प्रावधान का दुरूपयोग हो रहा हो या इतने दिनों के अनुभव के बाद अब 1 अप्रील से लागू हुआ है, अभी जुलाई का महीना है । हम आपको 12 जुलाई का आंकड़ा दे रहे हैं । तो एक-एक चीज का अध्ययन किया गया, जो राय आयी थी सर्वदलीय बैठक की, लोगों की लोक संवाद कार्यक्रम में, इसके बाद इस पर हमने एक कमिटी गठित की अधिकारियों की और हर चीज की समीक्षा की, फिर उस पर विधिक परामर्श लिया गया, हर चीज का परामर्श लेने के बाद कुछ संशोधन किये गये और हमलोगों ने समझा किस आधार पर कि कानून के ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसके दुरूपयोग की संभावना नहीं हो, कम से कम हो तो इस बात के लिये भी हमलोगों ने इसका अध्ययन किया । फिर देखा कि अगर पीने के चक्कर में पकड़ाते हैं और उसके सजा का प्रावधान कड़ा था, उसमें जमानत का प्रावधान नहीं था पकड़ाने के बाद, कोर्ट से जो भी जमानत मिले । तो इसलिये उसमें हमलोगों ने प्रावधान यह किया है

कि अगर कोई पीते हुये पीनेवाला पकड़ाता है तो उस पर सजा, पहली बार अगर पकड़ाता है तो 50 हजार रूपये का जुर्माना या तीन महीने की सजा और दूसरी बात है कि पहले ऐक्ट में यह गैर-जमानती था । अब इस बार उनको जमानत मिल सकता है । तो कम से कम जो पीयेगा, वह पकड़ायेगा तो 3 महीने की सजा नहीं तो 50 हजार रूपया जुर्माना । आजकल कुछ लोगों को देखते हैं बोलते हुये कि गरीब आदमी कहां से 50 हजार रूपया देगा ? आश्चर्य लगता है । भई, गरीब आदमी के हित में तो यह कानून है । गरीब आदमी को प्रेरित कीजिये कि मत पीओ। गरीब आदमी के हित में तो यह कानून है । तो उसकी चिंता आप क्यों करते हैं । क्या आप चाहते हैं कि गरीब आदमी पीये ? आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं ? उनको सहारा देना चाहते हैं कि हां, पीओ, पीओ, पीओ । यह हाल जो कुछ लोगों का रहता है आश्चर्य लगता है । लोगों की मानसिकता विचित्र है । यह गरीब-गुरूबा लोगों के हक में है । तीन महीना की सजा पहली बार, अगर दूसरी बार होगा तो फिर एक साल की सजा । यह प्रावधान है । ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके यह कानून में प्रावधान है । इसी प्रकार से अगर कहीं कुछ बरामद होता था तो जो प्रोविजन था, पूरा घर जप्त करने का,सबकुछ था तो देखा गया कि जिसके पजेशन में है, अगर किसी का घर है, किराया पर लगा हुआ, किरायेदार अगर कुछ गड़बड़ किया तो जो गड़बड़ किया वह पकड़ाना चाहिए, यह नहीं कि जिसका घर था, उसके घर को सीज कर लीजिये । तो इस तरह से कई, जितने भी प्रावधान हैं इस चीज की चर्चा है तो एक नहीं अनेक तरह के काम हैं इसमें जिसके बारे में आप सब लोगों को इस कानून का जो प्रावधान है उसको बताया गया है । मैं उसके बारे में चर्चा करना जरूरी समझता हूं कि थोड़ी उसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए । इसका जो मकसद है कि दंड को समानुपातिक बनाया जाय तो इसलिए कई चीजों के बारे में जैसे परिसर की परिभाषा से संबंधित था, दूसरा है अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय आदि पर सजा, दंड को समानुपातिक किया गया है । मादक द्रव्य या शराब के अवैध निर्माण, व्यापार, क्रय-विक्रय, परिवहन आदि पर सजा का श्रेणीकरण किया गया है । (क) प्रथम अपराध के लिये कम से कम 5 वर्ष का कारावास, कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना । द्वितीय अपराध और पश्चातवर्तीय अपराधों के लिये कम से कम 10 वर्षों का कठोर कारावास तथा कम से कम 5 लाख रूपये का जुर्माना । इस में शुरू में ही था कम से कम 10 वर्षों का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था । जुर्माना कम से कम 1 लाख रूपया जिसे 10 लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता था । तो इसी को अब समानुपातिक बनाया गया है । उसका प्रोविजन किया गया है । अब दूसरा एक प्रावधान था कि अगर किसी भी सिलसिले में, अपराध के सिलसिले में किसी भी

सिलसिले में कुछ होता है किसी घर में तो जो पहले का प्रावधान था कि इस मामले में उस परिवार के जितने बालिग लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर वे सब एक्यूज्ड बनेंगे । अब उस प्रावधान को हटा दिया गया है । एक्यूज्ड सभी लोग नहीं बनेंगे । जो जिम्मेवार है, वही एक्यूज्ड बनेगा । परिवार के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों के अपराधी होने का प्रावधान है, को हटा दिया गया है । तो इस प्रकार से अनेक चीजों के बारे में अब जैसे कई धाराओं को विलोपित किया गया है । जो एक सामूहिक जुर्माना का प्रावधान था, उसको हटा दिया गया है । भई, किसी गांव में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गड़बड़ करेंगे । लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शरीफ हैं, लेकिन फिर भी सामूहिक जुर्माना का प्रावधान है तो उसको भी हटा दिया गया है । तो इसमें इस तरह से संशोधन करते हुये किसी चीज का कोई दुरूपयोग नहीं करे । अब जो किया गया है विकृत स्प्रीट को मानव उपभोग के लिये बना देने हेतु दंड के स्पष्टीकरण में । कब्जा एक था । अब स्पष्टीकरण को हटा दिया गया है । अब हट जाने से अपराध में जो अभियुक्त है उसी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, बेवजह निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी । तो इस तरह से अनेक इसमें जो संशोधन किये गये है, वे इसलिए किये गये हैं कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न हो । सजा आनुपातिक हो और तीसरी बात है कि प्रावधान ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसका कोई दुरूपयोग कर सके । अब है गाड़ी वगैरह के सीजर का तो उसके लिये प्रावधान किया जा रहा है, ऐसे मामलों में कई बार माननीय उच्च न्यायालय में और अन्य जगहों पर भी प्रतिक्रिया आयी तो इन सब चीजों को देखते हुये और सही माने में व्यावहारिक रूप से देखते हुये अगर कोई बस में आ रहा है और किसी व्यक्ति के साथ कुछ पकड़ा गया तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि पूरा बस को सीज किया जाय । अब ऐसा प्रोविजन था कि पूरे बस को कर सकते थे । एक ऐसा हुआ था तो उस प्रावधान को हटाया जायेगा और इस कानून में प्रावधान गया है कि इसके लिये रूल बनाया जायेगा और यह प्रावधान किया गया है, अब सरकार रूल बना देगी कि किस परिस्थिति में वेहिकिल्स को वाहन को जप्त किया जा सकता है। एक एक चीज । अगर कोई पी करके गाड़ी चला रहा है तो वह पीनेवाला, गाड़ी में और कुछ नहीं मिला लेकिन अगर कोई गाड़ी में शराब भरकर ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करने के लिये तो उसका क्यों नहीं सीज होगा । लेकिन कोई किसी गाड़ी में जा रहा है और कोई एक आदमी ले कर जा रहा है तो इसका मतलब पूरे लोग, सब तो जिम्मेवार नहीं है । तो इस तरह से कई प्रावधान जो ऐसे थे जिसका दुरूपयोग हो सकता था । तो वैसे प्रावधानों को भी हटाया गया है । तो इस तरह से अब रीयेल स्टेट में जो कुछ भी था, उन सब चीजों के बारे में हर तरह से समानुपातिक बनाना और उसके अलावे शराब पीने के बाद तो शराब पीने में (क) और (ख) धारा

पहले था तो उसमें कर दिया 50 हजार रूपया जुर्माना पहली बार में या तीन महीना, अगले बार एक साल और एक लाख लेकिन बाकी जो था कि पी करके उपद्रव करते हैं, हंगामा करते हैं, मार-पीट करते हैं तो उस प्रावधान में कोई नहीं किया जा रहा है जो प्रावधान दूसरे थे, जो पी करके उपद्रव करनेवाले, हंगामा करनेवाले उस प्रावधान में कोई कमी नहीं की जा रही है । क्योंकि पी करके अगर हंगामा करेगा, उत्पात करेगा तो वह तो बिल्कुल ऐसा अपराध है तो उसमें तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए । तो इस तरह से जितने धारायें हैं, कई धारायें ऐसी थी जो एक धारा में इसका प्रावधान है फिर भी एक और था वैसी चीजों को हटाया गया है और जितना भी इस प्रकार से संभव था, इसकी पूरी की पूरी, हर चीज की व्याख्या करके, हर चीज का अध्ययन करके, आकलन करके सब कुछ किया गया । सामूहिक जुर्माना के संबंध में हमने बता ही दिया और पूर्णतः कुख्यात आदतन अपराधियों के निष्कासन का कि जिला से इसको निकाल दिया जाय इसको भी खत्म किया जा रहा है क्योंकि आपराधिक लोगों को जिले से निष्कासन करने का तो दूसरे कानून में प्रावधान है ही । फिर यहां पर उस प्रावधान की आवयकता नहीं थी । तो इसलिए इन चीजों को हटाया गया है । सबसे बड़ी बात है कि दो छोटे अपराध को समानुपातिक बताते हुये उसे बेलेबल बना दिया गया है । तो ऐसा किया गया है कि एक तो इस कानून को पालन करने में किसी भी तरह से कोई दुरूपयोग न हो, सजा समानुपातिक हो और सवा दो साल का जो अनुभव है उसके आधार पर इसमें संशोधन । जब कानून बनता है तो अनुभव के आधार पर उसमें संशोधन होता है तो यह संशोधन किया जा रहा है । लेकिन यह शराबबंदी को और पूरी मजबूती से लागू करने के लिये है । क्योंकि कानून का कोई ऐसा प्रावधान हो जिसका दुरूपयोग हो, लोग उसके खिलाफ जो बोलेंगे तो कुल मिलाकर शराबबंदी अभियान पर असर पड़ता है । इसलिये हमलोगों का ऐसे कम्पेन होना चाहिए और कानून का भी प्रावधान इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें सबकुछ हो । एक बात, अब जो लोग बोल देते हैं कि साहब गरीब आदमी है, 50 हजार रूपया अभी भी है, अब कुछ लोग बोलते हुये मिल जाते है । सवाल है जिसके बारे में चर्चा हमने कर दी उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं ।

क्रमशः

टर्न-15/राजेश/23.7.18

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, क्रमशः लेकिन मैं आग्रह करुंगा कि हमारा हर जिले में नशा मुक्ति केन्द्र है, डाक्टर्स ट्रेंड हैं, पारा मेडिकल स्टाफ है, बहुत लोग जाते भी हैं, ऐसे गरीब

गुरबा लोगों को जो आप समझते हैं, उनके सही सिम्पैथाईजर है, तो उनको नशा मुक्ति केन्द्र में ले जाइये, उनको पहुंचाइये, उनको ले जाईये, ताकि उन नशा मुक्ति केन्द्र में डाक्टर उनका इलाज करेंगे, अगर उनको बाहरी परामर्श से ओ0पी0डी0 में उनका इलाज हो गया, तो ठीक है लेकिन अगर कुछ ज्यादा पीड़ित हैं, तो इनडोर पेसेन्ट के रुप में रखना है, तो आई0पी0डी0 में रखेंगे, तो यह काम करना चाहिए। हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि इसी तरह का काम लोगों को करना चाहिए, तो जैसा हमने कहा है, समाचार पत्रों ने भी और मीडिया ने भी शराबबंदी का जो बेहतर असर है, उसको भी छापा लेकिन चंद लोग हैं, जो शराब पीने का जो उनका आदत रहा है या शराब पीने को वो अपनी आजादी से जोड़ते हैं, वैसे लोग इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, अरे भाई हम उनको बताना चाहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो कांस्टिच्यूशन का अंग है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले राज्यों को इसपर करना चाहिए कार्रवाई, यह लिखा हुआ है और यह राज्यों को अधिकार है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक से अधिक बार फैसला दिया है कि शराब पीना या शराब का कारोबार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन चंद लोग होते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, तो उनकी बात सुनते रहिये, उस बात में तो कोई दम नहीं है और उनको देखना चाहिए कि कितना व्यापक असर इसका पड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस अभियान में लोगों को लगना चाहिए और इस अभियान में लोग लगेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा और हर तरह के लोगों को तो इसका लाभ हो रहा है, इसकी कहानी जो है हर जगह, मैं तो जानता हूँ कि अगर कोई विरोध भी करता है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं और बराबर कहते भी हैं कि आप बताइये तो कि शाम में पहले क्या स्थिति होती थी गॉव की, घरों की, कस्बों की और शहरों की, शाम होने के बाद हंगामा का जो माहौल रहता था, तो आज क्या है ? शादी ब्याह होता था, दरवाजा जब लगता था, तो उस समय का जो माहौल था, अब क्या है ? सब माननीय विधायकगण हैं, अपने-अपने क्षेत्र में घूमते हुए, सबको जाना ही पड़ता है शादी ब्याह में, वे जाते थे और बैठते थे, कभी-कभी कोई पीकर आता था, तो किसतरह से बात करता था, कैसा बात करता था, तो ऐसी स्थिति जो रहती थी, तो आज उस सब से जो मुक्ति मिल रही है, यह कोई मामूली बात है, यह कोई साधारण बात हो रहा है, अब अगर कोई धंधेबाज की मदद से पी भी लेता है, तो कुछ जगह तो लोग जहरीला शराब भी पीते हैं और जहरीला शराब पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे यह तो फेल कर गया, फेल कर गया, जब जहरीला शराब पीने से मौत होती है, तो हम तो जाकर और अभियान चलाते हैं कि देख लो जहरीला शराब पीने से यह मर गया, रोको लोगों को, अभी सर्जिकल स्प्रीट पी लिया, अब बताइये, सर्जिकल स्प्रीट का मतलब जो

हाथ में लगाकर सूईया वगैरह दिया जाता है, वह स्प्रीट । तो क्या वह पीने की चीज है? उसको पी लिया तो मर गया, यह फेल्योर थोड़े ही है, यह तो लोगों की आदत है, ऐसी आदतों से लोगों को निकालना चाहिए। अगर जहरीली शराब पी करके कोई मौत का शिकार होता है तो यह तो बहुत बड़ा उपदेश है लोगों के लिए, मत पीओ, धंधेबाजों के चक्कर में मत पड़ो, कितनी जहरीली चीज वह दे देगा पीने के लिए, मर जाओगे, तो यह तो ऐसी चीजें हैं कि इन बातों का और ठीक ढंग से लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए । यह निरंतर अभियान चलता रहता है और एक बात जो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गरीब गुरुबा लोग जो यह सब चुलाते उलाते थे, इसी पर उनकी जीविका निर्भर थी, जब हमलोगों ने इसे लागू किया, तो पूर्णियाँ जिले की कहानी है एक गॉव की, वहाँ पर पूरे वैसे गॉव को जिला प्रशासन ने जाकर बात किया और उनको गाय उपलब्ध कराया, इतनी खुशी हो गयी, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, वे सिर झुकाये रहते थे, आज प्रसन्नता से जाते हैं । यह भी अभियान चल रहा है । अभी मैं सब की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ सदन के माध्यम से, कि हमलोग एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जीविका समूहों के माध्यम से कि कौन ऐसे लोग हैं, जो इसी तरह के काम पर लोगों की आजीविका निर्भर थी, उन लोगों को पहचानिये और उन लोगों को हमलोग मदद करेंगे वैकल्पिक रोजगार के लिए और इसके लिए हमलोगों ने योजना बना ली है जीविकोपार्जन की और उस जीविकोपार्जन योजना को दो प्रकार के लोगों के लिए लागू करने वाले हैं और उसका सर्वेक्षण चल रहा है, बहुत हद तक हो चुका है काम, वह है एक ऐसे समाज में जो होते हैं जिनको क्या लाभ मिलता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, राशनकार्ड भी नहीं है उनके पास, वे कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे परिवार को भी चिन्हित किया जाय और उनको जितने भी सरकारी लाभ की योजनाएँ हैं उनको दिलवाया जाय और दूसरा जो इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का परिवार जो शराब चुलाने में गरीब गुरुबा कुछ लोग लगा रहता था दूसरों के चक्कर में, आज उसके पास कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है, तो ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करके वैकल्पिक रोजगार के लिए चाहे पशुपालन हो, बकरीपालन हो, मुर्गा-मुर्गी पालन हो या और भी कोई दूसरा व्यापार अगर वो करना चाहें, तो उसके लिए भी उनको प्रेरित किया जायेगा । राज्य सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के लिए साठ हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की हमलोग सहायता करेंगे ताकि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो यह सिमपैथाईजर है, जो गरीब गुरुबा इस धंधा के कारण बेरोजगार हो गया, ये चिंतित है कि उनको धंधा करने दीजिये, हम तो उनको चाहते हैं कि वैकल्पिक रोजगार की तरफ आकृष्ट हों, उनके लिए जीविकोपार्जन योजनाएँ बनाई हैं और यह ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत, जो हमारा स्वयं सहायता समूह का और जीविका

समूह के माध्यम से यह सब कर रहे हैं और उनको प्रेरित किया जायेगा और लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसे चालीस, पचास परिवार पर एक सोशल एक्टिविस्ट रखना चाहते हैं ताकि ऐसा नहीं हो । हमलोग चाह रहे हैं कि वह उसको एडौप्ट नहीं कर रहा हो तो उनको समझाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उस काम में लगाने के लिए, यह सब काम कर रहे हैं, हमलोग कोई भी काम करते हैं, उसके हर पहलू को देखते हैं, एक-एक पहलू को देखते हुए उसपर काम करते हैं, अब सवा दो साल हुआ, इस शराबबंदी के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है और उसको बेहतर और इफेक्टिव बनाने के लिए हमलोगों ने यह सब प्रयास किया है। आज कानून के कुछ प्रावधानों पर संशोधन का प्रस्ताव इसलिए लाया गया है । हम सब लोगों से अपील करेंगे कि यह जनहित में है, यह समाज सुधार की दिशा में है और शराबबंदी के साथ-साथ नशा मुक्ति के लिए और उसके साथ-साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागृत करना, यह हमलोग सब विकास का काम करते हैं, विकास के काम से कोई समझौता नहीं है लेकिन उसके साथ-साथ समाज सुधार के लिए व्यापक अभियान चलाते हैं, यह हमलोगों का दायित्व है, समाज में अगर कुरीतियाँ खत्म नहीं होगी, तो चाहे जितना काम कर लीजिये, आज तो कुछ लोगों की बात ही समझ में नहीं आती हैं, किस प्रकार के लोग हैं, जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं, कभी-कभी समझ में बात नहीं आती है, जिन गरीब गुरुबा को उभारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यह सब काम किया जा रहा है, गलत काम करके जो बर्बादी की ओर था, उसके पक्ष में बोल करके कोशिश करते हैं कि हम गरीब के, दलित के, महादलित के पक्ष में हैं, अरे भाई यहॉ सबसे ज्यादा कोई लाभ शराबबंदी का है, वह है समाज के कमजोर तबके को, दलित, महादलित को है सबसे ज्यादा लाभ, अति पिछड़े, पिछड़े को है, तो वैसी स्थिति में जो इन चीजों का विरोध करता है, चंद चेहरा दिखा करके गरीब गुरुआ का विरोध करता है यानि उन चंद चेहरों का जीवन वह बर्बाद करना चाहता है । सही मायने में जो शराबबंदी के कानून का और इसके अभियान का अगर कोई विरोध करता है, तो इससे बड़ा दलित विरोधी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका लाभ सबसे ज्यादा उनको है । तो यह एक अपनी-अपनी राय है, हमलोग तो अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रखते हैं, कई लोग तो कई तरह की बात कहते हैं, कहता है कि शराबबंदी लागू करने से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व की क्षति हुई और 10 धंधेबाज पकड़ा गया तो कहेगा कि शराबबंदी तो फेल कर गया । हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कानून जो है, यह आई0पी0सी0 की धारा-302, मर्डर में जो एक्यूज्ड है, उनको आजीवन कारावास से लेकर फॉसी की सजा है, यह किसको नहीं मालूम है लेकिन प्रतिदिन 70, 80 मर्डर पूरे देश में होता

है, आप जरा बताइये, तो इसका मतलब कि मर्डर का कानून फेल, तो धारा-302 को खत्म कर दो ।

क्रमशः

टर्न-16/सत्येन्द्र/23-7-18

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री(क्रमशः) यह कहीं संभव है, उसी तरह से अन्य जो गंभीर अपराध है उसके लिए कानूनी प्रावधान के बावजूद कुछ क्राईम करने वाले लोग हैं तो इसका मतलब है कि क्राईम अगर होता है तो जो क्राईम को रोकने का कानून है वह फेल कर गया और उसको बंद कर देना चाहिए तो अगर शराबबंदी का कानून है, इसके बाद भी कुछ लोग दो नंबरी तरीके से शराब का धंधा करते है, सेवन करते हैं, इसका मतलब कि शराबबंदी फेल नहीं किया । इसका मतलब है कि यह बहुत बडा काम है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और जैसा मैंने पहले कहा मनुष्य का स्वभाव है, कोई भी काम करियेगा तो सब आदमी एक विचार का नहीं होगा लेकिन सबसे बड़ी बात है इससे अधिकांश लोगों को फायदा हो रहा है। समझाइये उनको, कोशिश करिये तो यह सब भी काम करना चाहिए, दूसरा प्रचारित करेगा कि भई सरकार को तो बहुत बड़ा राजस्व की हानि हो गयी । पहला साल 2015-16 में 5 हजार करोड़ रू0 की आमदनी हुई और 2016-17 में 1 हजार करोड़ का कमी आया था मात्र, ये बंद करने के बाद अगर सरकार को 5 हजार करोड़ रू0 जो आ रहा था, अब उस रास्ते से नहीं आ रहा है लेकिन लोगों के पॉकेट का जो 10 हजार, 15 हजार करोड़ रू0 शराब में बर्बाद हो जाता था वह तो बंद हुआ और अब जब बंद हुआ तो बेहतर काम में पैसा लगा रहे है। पता कर लीजिये अब लोगों का कपड़ा लत्ता कैसा बेहतर हो गया, खाना अब उनका कितना अच्छा है, वे बच्चों को अब और ठीक से पढ़ाने लगे, घर का माहौल ठीक हो गया, पहले शराब पीकर के आता था और घर में झगड़ा करता था, बुरा हाल रहता था घर का, अब शराब पीने वाला शराब बंद हो गया तो अब आता है कमाकर के तो घर में मुस्कुराता है और पत्नी की भी मदद करता है । ऐसी स्थिति में समाज का सुधार हुआ, कोई कह देगा कि रूपया का नुकसान हो रहा है, क्या रूपया का नुकसान हो रहा है ? लोगों का जो हजारों करोड़ रूपया बच रहा है, ये क्या राज्य का फायदा नहीं है और दूसरी बात है कि जब वह कोई दूसरे काम में पैसा खर्च करेगा तो जो टैक्स का सिस्टम है उसके माध्यम से तो सरकार को अंत्तोगत्वा आ ही जायेगा पैसा, एक गंदे काम से, वह भी कैसी आमदनी, शराब के व्यापार से जो आमदनी थी वह इमोरल इनकम था, अनैतिक आय थी और अब कुछ बड़ा परेशान है, देखिये बिहार में जो लागू हुआ, अब अलग अलग राज्य से कमिटी आ रही है अध्ययन करने और देखकर जा रहा है

और बड़ा ही प्रभावित होकर जा रहा है। हमलोग तो कह देते हैं कि कोई गांव में चले जाईए, किसी कस्बा में चले जाईए, कोई टोला में चले जाईए, अब लोग प्रभावित होकर के कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, सब का आकलन कर रहे हैं । हर जगह महिलाओं का, युवाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है, तब बहुत लोगों को अब देश में डर लगने लग रहा है, पीने वालों को अब लगने लगा है कि कहीं बिहार की तरह दूसरे राज्य में लागू हो जायेगा तो फिर कहीं भेटायेगा नहीं, इसलिए इसका मजाक उड़ाया जाता है । खैर, मजाक उड़ाने वाले को स्वतंत्रता है, मजाक उड़ाये, मुझे उसकी कोई चिन्ता नहीं है लेकिन यह जो काम किया गया है और इसका जो अच्छा परिणाम सामने आया है वह इतना सकारात्मक है कि अब हर किसी को इस काम में और गंभीरता से लगना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए यह मैं बार-बार कहता हूँ । अकेले कानून से कोई चीज लागू नहीं हो सकती है, सामाजिक अभियान सबसे बड़ी चीज है, सब लोग इस सामाजिक अभियान में लगें और इस तरह की चीज में और प्रभावी बनाने के लिए अगर कानून के अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जा रहा है तो इसका समर्थन करना चाहिए और अगर लोगों को लगता है तो सुझाव देना चाहिए, सलाह देना चाहिए । मुझको आश्चर्य हो रहा है, वे इतने बड़े चीज में मानव श्रृखंला में शामिल हुए, आज काहे भाई चले गये भाग के, समझ में बात नहीं आती है, हो सकता है लगता होगा कि इसके विरोध में बोलेंगे तो भारी ये होगा, नहीं तो जो बाहर बयान देते रहते हैं, वह देते रहेंगे । आकर के यहां सार्थक बहस होनी चाहिए थी, घंटों लोग एक-एक आदमी हम चाहते थे जितने लोग बोलना चाहे, अपने अपने अनुभव को बतायें और लोगों की राय के आधार पर इसका आकलन करने के बाद ही हमलोगों ने कुछ संशोधन किये हैं तो बाकी सब लोग कुछ बतलाते तो बहुत अच्छा रहता लेकिन खैर, एक मायने में इसका अर्थ यह भी है कि भले ही बाहर विरोध करते हों लेकिन अन्दर सब लोग संकल्प लिये हुए हैं तो यहां कैसे विरोध करते, छवि बड़ी खराब हो जाती, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाते, हो सकता है इसके लिए भी वाकआउट कर गये होंगे । खैर, यह भी लोगों को अधिकार है। मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ लेकिन यह जो बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक, 2018 है यह मद्यनिषेध को और बेहतर ढंग से, और गंभीरता से लागू करने के लिए अध्ययन के आधार पर कुछ इसमें संशोधन लाये गये हैं, यह और बेहतर होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है । आप सब लोगों से यह आग्रह होगा कि न सिर्फ इसका समर्थन करें बल्कि अपने अपने इलाके में जहां कहीं भी जाते हों, दूसरे इलाके में सब जगह अपनी बात रखिये लेकिन एक बार पांच मिनट, चार मिनट जितना देर भी बोलना चाहते हैं इसके बारे में लोगों को जरूर बतलाईए और अब तो जैसा हमने बताया कि

आई0जी0 प्रोहिबिशन का जो तंत्र विकसित किया है, अगर कोई कहता है तो बताओ उनको, उसका नाम नहीं खोला जाता है और हर प्रकार से उसका आकलन किया जा रहा है तो इस तरह से कानूनी प्रावधानों को भी मजबूती से लागू करना और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस सामाजिक सुधार के लिए लोगों को प्रेरित करते रहना, क्योंकि कभी कभी होता है अगर लोग सोच लेगा कि अब तो हो गया इससे काम नहीं चलता है, यह इतना बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए हम सब लोगों को हमेशा सजग, सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा । यही मैसेज, यही संदेश लोगों को जब जाते हैं जनसम्पर्क में उस समय यह संदेश जरूर देना चाहिए और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करेगा और सदन की पूरी सहमति इस संशोधन विधेयक पर प्राप्त होगी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2018 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।''

अध्यक्षः बिहार विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, मो0 नेमातुल्लाह एवं श्री भोला यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है क्या माननीय डॉ0 रामानुज प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टर्न-17/मधुप/23.07.2018

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड–3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खण्ड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खण्ड–1 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रस्तावना में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना दूसरा संशोधन मूव करेंगे ?

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: अब प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

महोदय, जो पहले के आयोग थे उसमें 4800/- ग्रेड पे के नीचे वाले कर्मचारी जो होते थे, उन्हीं लोगों की नियुक्ति का यह मामला था लेकिन व्यवहारिक रूप में आगे आने वाले वक्त में देखा गया कि इंजीनियर, डॉक्टर और एनीमल हस्बैंड्री के डॉक्टर, इसकी व्यापक कमी महसूस की जा रही है, बहुत ज्यादा इसके चलते सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार था, उससे निकालकर इस आयोग के द्वारा कि गति होगी उसमें, जल्दी-जल्दी अनुसंशाएँ होंगी, यही मकसद इस संशोधन विधेयक को लाने का था और इसी के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग में भी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अब इसका नामकरण होगा । इतना ही चेन्जेज हुआ है और इसके उद्देश्य हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और टेक्निकल पद जो ग्रेड पे उपर वाले भी हैं, टोटल की नियुक्ति की इसमें प्रक्रिया तेज की जायेगी ।

यही इसका मकसद है । इसलिये अनुरोध करूंगा कि इसे पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-23 जुलाई, 2018 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 20(बीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-24 जुलाई, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....